


राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-डा0 अनिल चन्दोला
- वर्तमान धारित पद-अपर निदेशक, सूचना विभाग

- संवर्ग-'क'
- वर्तमान वेतनमान-लेवल-13 ₹ 118500-214100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. मोहकमपुर खुर्द, तहसील, देहरादून।	289 वर्ग मी. भूमि	डा. अनिल चन्दोला	श्री जितेन्द्र नागलिया राजा रोड देहरादून से क्रय की गई।	28-08-07	₹ 1.70 लाख	20 लाख	-	GPF से लोन लेकर तथा पारिवारिकजनों से लोन लेकर।
2. ग्राम-कोठड, श्रीनगर, गढ़वाल	76 वर्गमी. भूमि	उक्त भूमि पर पत्नी के नाम मकान	श्री जगदीश जोशी से वर्ष 1999 में भूमि क्रय पर उस पर मकान निर्मित।	वर्ष 1999 में भूमि क्रय कर मकान निर्मित	₹4.5 लाख	₹12 लाख	₹40 हजार	GPF से लोन तथा रिस्तेदारों से धनराशि लेकर भूमि क्रय तथा मकान निर्माण।
3. अजबपुर कलां, देहरादून	206वर्गमी. भूमि	पत्नी श्रीमती सरला चन्दोला के नाम पर	श्रीमती लक्ष्मी नेगी से क्रय की गई।	17-02-2010	₹ 5.18 लाख	मकान के लिए भूमि क्रय		GPF से लोन लेकर भूमि क्रय।
	उक्त भूमि पर मकान निर्माण	पत्नी श्रीमती सरला चन्दोला के नाम पर	मकान निर्मित किया।	17.02.2010 को भूमि क्रय कर वर्ष 2012 में मकान निर्माण	₹ 24 लाख 54 हजार मकान निर्माण	₹35 लाख	स्वयं निवास	PNB से मकान लोन तथा वचत पत्र तुड़वाकर प्राप्त धनराशि से मकान निर्माण।
4. ओम विहार, पटेलनगर, देहरादून	1390 वर्ग मी. पर 3BHK का फ्लैट	सुश्री अदीति चन्दोला D/O डा. अनिल चन्दोला	एस. के. अरोड़ा पटेलनगर देहरादून से क्रय	29-11-2016	₹42 लाख 10 हजार	₹42 लाख 10 हजार	₹1 लाख 98 हजार	SBI मातावाला ब्रांच से 33 लाख 60 हजार लोन तथा शेष पारिवारिकजनों से लोन।

स्थान:-देहरादून।  
दिनांक 09.8.2019

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम-डॉ अनिल चन्दोला  
पद नाम-अपर निदेशक।  
विभाग -सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।


राज्याधीन सेवाओं के कामियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-राजेश कुमार  
3. वर्तमान धारित पद-संयुक्त निदेशक

2. संवर्ग.....  
4. वर्तमान वेतनमान लेवल-12, ₹ 78800-209200

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधि मकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित ककरणे की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. जिला गोरखपुर तहसील सदर हुमायू पुर उत्तरी	भूमि एवं भवन	पैतृक भूमि भवन	पैतृक	पैतृक	-	-	-	-
2. जिला हरिद्वार परगना ज्वालापुर हरिद्वार	भूमि 2227 वर्ग फुट आवास	स्वयं एवं पत्नि के नाम	क्रय भवन निर्माण कराया गया	₹11.10. 2002-2004	₹ 396500/- 7,00,000/-	18,00,000/-		
3. जिला हरिद्वार तहसील रुड़की	कृषि भूमि 0.238 हैक्टेयर 0.3175 हैक्टेयर	स्वयं के नाम से	क्रय तदैव	03.03.2012 03.03.2012	96000/- 1,27,000/-	1,25,000/- 1,35,000/-		
4. जिला देहरादून तहसील सदर	भूमि 195.15 वर्ग मीटर आवास हेतु	स्वयं के नाम से	क्रय-भवन निर्माण किया गया। 10 लाख लोन PNB बैंक से 06 लाख GPF से आहरित।	13.02.2013	09,78,000. /-	-	-	-

स्थान:- देहरादून।  
दिनांक-02-08-2019

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम-राजेश कुमार  
पद नाम-संयुक्त निदेशक,  
विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।  
(राजेश कुमार)  
संयुक्त निदेशक  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग-  
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-आशिष कुमार  
3. वर्तमान धारित पद-संयुक्त निदेशक

2. संवर्ग-'क'-78800-209200 (LEVEL\_12)  
4. वर्तमान वेतनमान लेवल-12 ₹ 78800-209200

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. तहसील जीयनपुर	0.68 है	पैतृक	पैतृक		-	₹ 15 लाख	-	-
2. खरारराष्ट्रीयपुर आजमगढ़	आवास	पैतृक	पैतृक			₹ 2 लाख		
3. तहसील सदर राहुलनगर आजमगढ़।	आवास	पैतृक	पैतृक			₹ 15 लाख		

स्थान:- देहरादून।  
दिनांक -29-08-2019....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी का नाम-आशिष कुमार त्रिपाठी  
पद नाम-संयुक्त निदेशक  
विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणी:-

- क्षेत्रीय 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेत्रों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्व/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्व/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिक्व/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

सम्बन्धीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अंजल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2010-19) को लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-योग्यता मिश्रा  
2. वर्तमान वर्तमान पद-उपनिदेशक मीडिया सेक्टर हस्तानी

2. संघर्ष-द्वितीय

4. वर्तमान वर्तमान- सेक्टर-11 ₹ 67700-208700

क्र.सं.	सम्पत्ति (आवारा, भूखे एवं अन्य भूखे) का पूरा नाम एवं वर्तमान स्थिति	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का संयोजन)	सम्पत्ति अधिार करने का माध्यम (ग्राम/डीवा/मंजूर/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे वर्तमान अधिार की गयी	सम्पत्ति अधिार करने की तिथि/वर्ष	अंजल लागत (रुने)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रुने)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रुने)	अध्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. एक नकारात्मक है जो कि गावा जी सेवाग्राम अध्यापिका श्रीमती सरला मिश्रा के नाम से 1914-वर्ष को 13 आदर्श कालोनी रुद्रपुर में है।

स्वाक्षर- हस्तानी नैनीताल  
दिनांक-02-09-2019

हस्ताक्षर  
अधिकारी का नाम-योगेश मिश्रा  
पद-नाम-उपनिदेशक मीडिया सेक्टर हस्तानी  
विभाग-सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

DEPUTY DIRECTOR  
DISTRICT INFORMATION OFFICER

दिनांक-

NAINITAL

1. डेप्युटी डायरेक्टर के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले बजट वर्ष के लिए अंजल पत्र को 01 जनवरी की स्थिति में अंजल पत्र के माध्यम से जमा कराया जायेगा।
2. प्रत्येक वर्ष 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अंजल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि एक ही नाम से अंजल सम्पत्ति की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जायेगा।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित अवैतनिक पद/अन्य भवन के रूप में प्राप्त की गई हो तो तब भी 6 में पूर्ण रूप से अंकित किया जाये और यदि प्रत्येक वर्ष को भी प्रत्येक एक अंकित किया जाये।
4. जहाँ सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा, सर्वे तथा उत्त पर अधिार अधिार के अन्वय गृहस्थों के नाम से अधिार सम्पत्ति संचित की जायेगी।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-के.एस. चौहान  
3. वर्तमान धारित पद-उप निदेशक

2. संवर्ग-मिनिस्ट्रीयल संवर्ग  
4. वर्तमान वेतनमान- लेवल-11 ₹ 67700-208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. केदारवाला विकासनगर देहरादून	भूमि 0.3240 है	स्वयं	क्रय की गई	31.3.2004	01 लाख 10 हजार	5 लाख लगभग	NIL	-
2. विजय पार्क एक्सटेंशन देहरादून	222.96 (वर्ग फिट) निर्मित क्षेत्र 209.18 वर्ग	स्वयं	क्रय की गई	8.11.2006	17 लाख	30 लाख	NIL	-

स्थान:- देहरादून।

दिनांक:- 29-08-2019....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी का नाम-के.एस. चौहान

पद नाम-उप निदेशक

विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणी:-

- क्षेत्री 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेत्रियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-नितिन उपाध्याय
3. वर्तमान धारित पद-उप निदेशक

2. संवर्ग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
4. वर्तमान वेतनमान- लेवल-11 ₹ 67700-208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित कीले की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.ग्राम एवं पो. बख्शा जौनपुर उ. प्र.	लगभग 0.37 हे. कृषि भूमि	नितिन उपाध्याय (स्वयं)	उत्तराधिकार	वर्ष 2000	NIL	N/A	N/A	गतवर्ष की भांति
2केदारपुरम मोथरोवाला देहरादून	स्वयं का आवास 0.0171 हे. भूमि पर	नितिन उपाध्याय (स्वयं)	होम लोन देना बैंक माजरा देहरादून	वर्ष 2017	N/A	N/A	N/A	गतवर्ष की भांति

स्थान: -देहरादून।  
दिनांक-26-08-2019

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी का नाम-नितिन उपाध्याय  
पद नाम- उप निदेशक  
विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणी:-

5. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
6. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
7. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैअ/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
8. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

रज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - मनोज कुमार श्रीवास्तव ..  
3. वर्तमान धारित पद - सहायक निदेशक

2. संवर्ग-सूचना (ख)  
4. वर्तमान वेतनमान -5400-ग्रेड पे

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित कीले की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. हरिद्वार	प्लैट 100 वर्ग मी.	मनोज श्रीवास्तव	पैतृक सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त	सितम्बर 2015	16.00 लाख	25 लाख	शून्य	-
2. हरिद्वार	भूमि 104 वर्ग मी.	रश्मि श्रीवास्तव (पत्नी)	पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त आय	जून 2014	3.40 लाख	4 लाख	शून्य	-

स्थान: देहरादून.....  
दिनांक 16-08-2019....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी का नाम - मनोज कुमार श्रीवास्तव  
पद नाम - सहायक निदेशक..  
विभाग - सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग..

टिप्पणी:-

1. श्रेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-रवि बिजारनियां
3. वर्तमान धारित पद-सहायक निदेशक

2. संवर्ग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
4. वर्तमान वेतनमान- 56100-177500

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.Village Danda Dhoran, Distt. Dehradun	Plot 249.79 sq mt	self	purchase	2013	16,50,000/-		-	taken loan(10.22lakh) fram LIC HFL
2.Mussorree Road Mauza Banrail.	One BHK Flat 74.35 sq mt.	self	purchase	2019	32,09,00/-		-	House loan of rs 29 lakh fram SBI

स्थान: -देहरादून।  
दिनांक-08-08-2019

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी का नाम-रवि बिजारनियां  
पद नाम- सहायक निदेशक  
विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

टिप्पणी:-

1. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र


(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रकाश सिंह भण्डारी 2. संतर्ग राजकीय सेवा सिबी-ए

वर्तमान कार्य पद जिला सुचना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान ₹3001-

1. अचल सम्पत्ति का विवरण जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास भूनि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी तैवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जित लागत (₹ में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	8. सम्पत्ति की वार्षिक आय (₹ में)	9. सम्पत्ति का वर्णन
म एवं 10 ओर 30ली लि एवं म राग 6	आवास पुराना 500व.मी. आवास निर्माणधीन 1000व.मी.	पैत्रिक (श्री चंद्र सिंह) भाई स्वयं	पैत्रिक सम्पत्ति (पिता स्व. श्री लक्ष्मण सिंह के निधन उपरान्त) निर्माण कार्य	1995	1 लाख 2 लाख	शून्य	(भाई का परिवार) निवास राग	
				2018	15 लाख 15 लाख	शून्य	(निर्माण कार्य वाला)	

स्थान देहरादून  
दिनांक 31/8/2018

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम प्रकाश सिंह भण्डारी  
पद नाम जिला सुचना अधिकारी  
विभाग सुचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, डी.आर.ओ.

श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की तिथि के अनुसार अचल सम्पत्ति अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति स्थित/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय। प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय। यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय। अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी तैवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति को अंकित करने से बचना।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा गोपाल सिंह राणा  
 2. संवर्ग समूह 'ख'  
 3. वर्तमान धारित पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 56100 - 1,77,500 (Level - 10)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/खीज/बंधक/अंतराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1- जिला चित्तौली तहसील धराली ग्राम-ब्लॉक, पोस्ट मुन्दाली, इलाहाबाद	01.67 हेक्टर कृषि भूमि एवं प्लॉट भवन आवास	प्लॉट/आइएम जे. कृषि माला, इलाहाबाद	प्लॉट सम्पत्ति	-	-	-	-	वर्तमान तक सम्पत्ति प्राप्त में शामिल नहीं है।
2- देहरादून, तहसील जटिषिकेरी, रानीधौलवी, इलाहाबाद	180 वर्ग गज आवासीय भवन	स्वयं के नाम (जायला एडि 2011)	श्री विकास डीनमाल देहरादून से	नवंबर 2018	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	-	PNB Housing loan Rs. 8,00,000/- (माहवार सुट्टा प्रयोजित गया है)

स्थान देहरादून  
दिनांक 08/08/2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम गोपाल सिंह राणा  
पद नाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग राज्य एवं लोक सम्पत्ति विभाग, इलाहाबाद

- टिप्पणी :**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा चन्द्रशेखर दीगर 2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल  
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ उपपरामर्श अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 47600-151100 (Level 08)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिरामें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिराके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंका/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हाइदराबाद जिले तहसील मिर्जापुर-1 रैडराइट	240 sq.ft.	स्वयं	कय	दिसम्बर 2015	6.70 लाख	-	-	

स्थान: रेडराइट  
दिनांक: 29/8/19

हस्ताक्षर: [Signature]  
अधिकारी का नाम: चन्द्रशेखर दीगर  
पद नाम: वरिष्ठ उपपरामर्श अधिकारी  
विभाग: रूग्ण उपचार विभाग रेडराइट

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण (वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मैसर्स प्रिंटिंग प्रेस  
 2. संवर्ग 'ख'  
 3. वर्तमान धारित पद एग्जिक्टिव असिस्टेंट  
 4. वर्तमान वेतनमान 56950-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान प्रदेश जिला-कोटा तहसील-कोटा गांव-कोटा कै 1246	100 म <sup>2</sup>	श्रीमती सुप्रिया (एन)	कय	14-7-2016	21,00,000	25,00,000		कीर्तिमय शर्मा मानक अचल सम्पत्ति कोटा के माता श्रीमती श्रीमती
राजस्थान प्रदेश जिला-कोटा तहसील-कोटा गांव-कोटा कै 1246	40 म <sup>2</sup>	(एन)	कय					

स्थान : कोटा  
 दिनांक : 27/8/2019

हस्ताक्षर [Signature]  
 अधिकारी का नाम मैसर्स प्रिंटिंग प्रेस  
 पद नाम एग्जिक्टिव असिस्टेंट  
 विभाग प्रिंटिंग प्रेस कोटा

- टिप्पणी :**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा भुवन चन्द्र जोशी 2. संवर्ग रिजिनीय  
3. वर्तमान धारित पद कीर्ति प्रशासक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 43600 - 151100-(एनएनए)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासा, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-व्यापान (इकोली) पो-ताकुला तहसील व जिला अहममोडा	20 नाणी कृषिभूमि	पिता श्री एवं अन्य भ्रातृओं के नाम से	पैसा	-	-	-	-	-
भुवन चंद्र जोशी पंजीयन अधिकारी प्रधाना मन्त्र द्वा: तहसील इकोली मैत्रीनाम	1253 कैलीर	स्वयं के नाम से	श्री कनेन्द सिंह पुत्र श्री गीत सिंह जिासी पूजाचौक इकोली-मैत्रीनाम	19 मई 2011	160000/- ₹ 160000 ₹ 175	₹ 2000 ₹ 175	-	अज्ञात निर्माण लागत का होना हो चुका है।

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 27-8-2019

हस्ताक्षर भुवन चंद्र जोशी  
अधिकारी का नाम भुवन चंद्र जोशी  
पद नाम कीर्ति प्रशासक अधिकारी  
विभाग स्वयं एवं लीज से वि० उत्तराखण्ड-देहरादून

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेन्द्र 1082 2. संतर्क सूचना  
3. वर्तमान धारित पद वीरवार प्रशासकीय कार्यालय 4. वर्तमान वेतनमान 47600-151100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हों, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लोज/बचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>गांव- दशम</u> <u>पो. का. नगरपालिका</u> <u>सुदूरपश्चिम प्रदेश</u> <u>जिला अ. न. 8</u> <u>उत्तरा. 2405</u>	<u>15 बाली</u>	<u>अ. न. 4</u>	<u>प. न. 1</u>	<u>प. न. 1</u>	-	-	-	<u>निजी प्रयोग</u>
<u>2- डा. 102</u> <u>वि. न. 2/82</u> <u>ज. न. 4-300/108</u> <u>ज. न. 1</u> <u>उत्तरा. 2405</u>	<u>1128 वर्ग मीटर</u>	<u>प. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u>	<u>प. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u> <u>ज. न. 1</u>	<u>प. न. 1</u> <u>2014</u>	<u>263,000</u>	<u>4,50,000</u>	<u>8200</u>	<u>निजी प्रयोग 83</u>

स्थान २६३१६७  
दिनांक ०६.०८.२०१९

हस्ताक्षर सुरेन्द्र 1082  
अधिकारी का नाम सुरेन्द्र 1082  
पद नाम वीरवार प्रशासकीय कार्यालय  
विभाग सूचना 224 लॉक नमबर 1000

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ज्वलित प्रसाद शर्मा  
 2. संकाय मिनिस्ट्रीयल (एलपिकीय) संकाय  
 3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
 4. वर्तमान वेतनमात्र वेतन लेवल-8, वेतनमान ₹ 47600-151,100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
पद - <u>मिनिस्ट्रीयल</u> जिल - <u>खेरीनावा</u> <u>उद्योगधुंडीकेदार (कोटेश्वर)</u>	<u>भूमि एवं भवन</u> (लगभग 20 नाली)	<u>ज्वलित प्रसाद शर्मा</u>	<u>उत्तराधिकार</u>	-	-	<u>लगभग ₹ 790 लाख</u>	-	-
पद - <u>जैनीताल</u> जिल - <u>हल्द्वानी</u> नं - <u>बिछोरिया नं-1</u>	<u>भूमि</u> (245.88 वर्ग मीटर)	<u>ज्वलित प्रसाद शर्मा</u>	<u>कय</u> <u>श्रीमान प्रकाश शर्मा</u> <u>श्री दिनेश चन्द</u> <u>पुत्रवध श्री त्रिभुवन चन्द</u> <u>कपिलाश्री, आभ-बिछोरिया नं-1</u> <u>हल्द्वानी, जैनीताल</u>	<u>07.06.2004</u>	<u>₹ 1073 लाख</u>	<u>लगभग ₹ 8.80 लाख</u>	-	-
पद - <u>जैनीताल</u> जिल - <u>हल्द्वानी</u> नं - <u>जयदेवपुर</u>	<u>भूमि</u> (171.98 वर्ग मीटर)	<u>ज्वलित प्रसाद शर्मा</u>	<u>कय</u> <u>श्री घनानन्द उपाध्याय शर्मा</u> <u>श्री लखन चन्द उपाध्याय</u> <u>पुत्रवध श्री गुरुदेव दत्त</u> <u>आभ-मिठोली पर्यटन विकास विभाग</u> <u>तहसील-शनीखेत, अल्मोड़ा</u>	<u>18.06.2012</u>	<u>₹ 3.10 लाख</u>	<u>लगभग ₹ 5.85 लाख</u>	-	-

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 27.08.2019

हस्ताक्षर :  
अधिकारी का नाम : ज्वलित प्रसाद शर्मा  
पद नाम : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग : सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  
उत्तराखण्ड देहरादून

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी तक सन्वधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय। अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सन्वधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मानवी सिंह 31 2. संवर्ग निगमस्थायित्त सवर्ग  
3. वर्तमान धारित पद वारंट प्रशासक-राजिस्त्री 4. वर्तमान वेतनमान 52000/- 8 47600-115000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य गति) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लखनऊ 32 मोती बाग	1800 कच्चा भूखण्ड वाइपरिड 600-कच्चा	लखन	भवन निर्माण के द्वारा प्राप्त	1990	05 लाख			
देहरादून पुष्पगुप्तपुरा	107 गज	पत्नी	बैंक व जी.पी.पी.एम द्वारा LIC के कर्ज द्वारा		27 लाख			
अन-इलाहाबाद फो. इलाहाबाद जिला-अलाहाबाद	राजिस्त्री 30 गज	राजिस्त्री	पैतृक	पैतृक	-			

पति का पता 230 इंदौर रोड

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 02-08-19

हस्ताक्षर मानवी सिंह  
अधिकारी का नाम मानवी सिंह  
पद नाम वारंट प्रशासक-राजिस्त्री  
विभाग रूचना एवं लोक सेवा विभाग देहरादून

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा शंकर दत्त लोहना  
 2. सर्वग ख  
 3. वर्तमान धारित पद उप-स्वाधिका  
 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 44900-142400 (Level-07)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासा, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लोज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्यविवरण
व.प. ता. कुशी अचल सम्पत्ति ख. जिला 30 बाली मो. 30 (अविभाजित)	अविभाजित (तीन हिस्से)	पैतृक		-	-	-	-	
नोडा किताब 60 वर्ग मी. 1 रकम जी.एम.ए.ए. (अचल सम्पत्ति) 5.50	स्वयं		जे.ए. लोहना किताब प्राधिकरण से कय की गयी है.	वर्ष 2001	6.00 लाख	-	-	परिवार के उपरोक्त है.

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 13-08-2019

हस्ताक्षर शंकर दत्त लोहना  
अधिकारी का नाम  
पद नाम  
विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा केवल सिंह  
2. संवर्ग ताकनीकी  
3. वर्तमान धारित पद फोटो फिक्स अधिकारी  
4. वर्तमान वेतनमान 55,200/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1. लखनऊ	2. आवास 50 वर्ग मी	3. केवल सिंह	4. कय, बंधक	5. 2004	6. ₹ 35,00,000	7. ₹ 39,00,000	8. कुछ नहीं	9.
2. लखनऊ	आवासीय भूमि 1800 वर्ग फीट	पवन सिंह लोधी - पुत्र	उपहार - स्वामी जयप्रकाश	2014	₹ 10,00,000	₹ 29,00,000	"	
3. टहसी	आवासीय भूमि लगभग 2300 वर्ग फीट	स्व. कन्नू देवी - पत्नी	कय	1995	₹ 1,00,000	₹ 66,00,000	"	
4. टहसी	आवास 1800 वर्ग फीट	1. मनीषा लोधी-पुत्री 2. पवन सिंह लोधी-पुत्र	उपहार-श्रीमती उमा देवी	1990	₹ -	₹ 1,00,00,000	₹ 9,00,000 प्रति माह	

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 29.8.2019

हस्ताक्षर केवल सिंह  
अधिकारी का नाम केवल सिंह  
पद नाम फोटो-फिक्स अधिकारी  
विभाग रखना रख लोक सम्पत्ति विभाग देहरादून

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सौदक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज के द्वारा जुलूस ..... की स्थिति अनुसार  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी .....)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मनोज कुमार शुक्ला  
 2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल संवर्ग  
 3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी  
 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 50,500/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लोज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>देहरादून</u>	<u>आवासीय</u>	<u>स्वयं</u>	<u>स्वयं कय की 25 जून, 2009 30 लाख</u>					
<u>राज्य - कन्नड़</u>								
<u>मौजा - सुबहिन</u>	<u>प्लॉट नं. 4</u>	<u>पत्नी</u>	<u>पत्नी</u>					
<u>राज्य - पी. नागपुर</u>	<u>मकान</u>							
<u>जिला - रुद्रपुर</u>								

मनोज कुमार शुक्ला  
 4.1.1. से Home Loan का बकाया  
 कि कर्जित है

स्थान: देहरादून  
 दिनांक: 27/8/2019

हस्ताक्षर .....  
 अधिकारी का नाम मनोज कुमार शुक्ला  
 पद नाम प्रशासनिक अधिकारी  
 विभाग राज्य निदेशालय

**टिप्पणी :**  
 1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।  
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।  
 3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।  
 4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उरर पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1659 20/08/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष-2019 के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रामपाल सिंह रावत 2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल संवर्ग  
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 44900 - 142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आकार, भूमि एवं अन्य गवर्न) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम व पोस्ट बौराईगांव, कोशी पर्यटन क्षेत्र, जनपद टिहरी	5 नाली चक्रे भूमि पैतृक		उत्तराधिकार				NIL	
मौजा कारगी गाँव परगना देवीय इन, जनपद, देहरादून	200 गज	श्रीमती रजनी रावत पत्नी	डॉ. श्रीमती मोनिका रावत, जुलाई 2018 पत्नी महेश सिंह रावत पी/2/121, यमुना काकोनी, देहरादून	2018		15,07,000/-	NIL	

स्थान देहरादून  
दिनांक 19 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर रामपाल सिंह रावत  
अधिकारी का नाम  
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

श्री सुक्ला  
20/08/2019

165/2018/114

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रपाल सिंह कुदियाल 2. संकाय लाइव शर्मा  
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान नैतनमान 44900-142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासा, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1. ग्राम-शुदा, तह. सुल्तानपुर (पिचोला 6)	15-नाला	नरेश कुमार	पहले			150000	-	पहले सम्पत्ति (नरेश कुमार)
2. सुल्तानपुर (पिचोला 6)	-	-	नरेश कुमार भवन	1990	3-लाख 6-लाख	-	-	इसकी राशि (नरेश कुमार)
3. महुवाला नामा देहरादून	167.22 (बगीचा सह)	श्रीमती सुनिता कुदियाल पत्नी श्री रपाल सिंह कुदियाल	इस विषय राशि	7.11.14	5.36 लाख	-	-	दिल्लीवाली लक्ष्मी चक्रवर्ती सरकारी के सदस्य/ श्री ए.डी.एस. डा. एम.डी. 2151

स्थान : .....  
दिनांक : .....

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम रपाल सिंह कुदियाल  
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग सूचना विभाग

JDR

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

श्री सुनिता कुदियाल  
20/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा जुगल डिवाइ 2. संवर्ग उ  
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 44900 - 142400 (LEVEL 07)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखण्ड लक्ष्मीपुर - डईवाला डईवाला ग्राम - झारखण्ड प्रान्त झारखण्ड	2.3450 हेक्टर पृथक-पृथक	माया के नाम जायगी					-	पृथक-पृथक माया के आधिकारिक

स्थान झारखण्ड  
दिनांक 22/01/2019

हस्ताक्षर जुगल डिवाइ  
अधिकारी का नाम जुगल डिवाइ  
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग स्वयं एवं लोग सम्पत्ति भाग

- टिप्पणी :**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1634  
19/8/19

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा कमलेश्वर प्रसाद  
 2. संवर्ग SMET  
 3. वर्तमान धारित पद 55 इन्डि-6  
 4. वर्तमान वेतनमान 54900 - 142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अचल सम्पत्ति महिला निर्माण कार्य 1800 वर्ग फीट	स्वयं	अर्जित कर के माध्यम कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार	वर्ष 2008	60000/-	2000	2000	स्वयं

स्थान : 50115-79  
 दिनांक : 17-8-19

हस्ताक्षर : [Signature]  
 अधिकारी का नाम : कमलेश्वर प्रसाद  
 पद नाम : कमलेश्वर प्रसाद  
 विभाग : प्रशासनिक अधिकारी

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

19/8/2019





राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष-2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

683

22-2-20

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रेणी शेरवर् चन्द जोशी  
वर्तमान धारित पद फोटोग्राफर

2. संवर्ग फोटो फिलम श्रेणी  
4. वर्तमान वेतनमान 56900-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ना, तहसील और गांव या शहर जहाँ सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
म. गंगोटी नगरपालिका	16 नाली प्लूट जमीन व भवन	शेरवर् चन्द जोशी	उत्तराधिकार					
319/8 नक्षी नगर एरिडून	180 वर्ग मी. इन्डियन नगर में निर्मित भवन		कय	2003	35000/-	वर्तमान मूल्य 72,000.00/रु		

मान : देवराज  
नांक : 02/07/2019

हस्ताक्षर  
अधिकारी का नाम शेरवर् चन्द जोशी  
पद नाम फोटोग्राफर  
विभाग भू-सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय। प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय। यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड की मूधक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय। अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आप्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा यमुना प्रसाद व्यास 2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल  
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 49,000/- (44,900 + 14,240)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आकार, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B-55, टिहरी नगर, कालोनी अजवपुर कला देहरादून।	उनावासीय भवन 100 वर्ग मीटर	स्वयं के नाम	पैतृक (टिहरी बांधा विस्थापित)	पैतृक	-	18.00 लाख	शून्य	-

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 17.8.2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम यमुना प्रसाद व्यास  
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी  
विभाग सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड

**टिप्पणी :**

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फ्लेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2009 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2009 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अधीनस्थ अधिकारी  
 2. संकाय अधीनस्थ अधिकारी  
 3. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ अधिकारी  
 4. वर्तमान भौतनमान 5200-20200 पेंशन 2000

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (जहाजि, भूमि एवं अन्य) का पूर्ण विवरण (संक्षेपतः सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिष्ठ करने का माध्यम (कच/सीता/मिर्चा/सहकारीकरण/संपत्ता/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अधिष्ठ की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठ करने की तिथि/वर्ष	अचल मूल्य (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	भवन (5-बिस्वा)	श्रीमती पूजा शर्मा	श्रीमती अमीन खान	2009 के मास				रहन के प्रयोजन है।

स्थान : देहरादून  
 दिनांक : 19/8/2019

हस्ताक्षर [Signature]  
 अधिकारी का नाम अधीनस्थ अधिकारी  
 पद नाम अधीनस्थ अधिकारी  
 विभाग अधीनस्थ अधिकारी (समक विभाग)

**टिप्पणी :**

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति निम्नलिखित/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष की अवधि पर प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में भरतुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक सम्पत्ति अधिष्ठ की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अधिष्ठ किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय भवन/अन्य भवन के रूप में कच की गई हो तो सामान्य 6 में कृपया मूल्य अधिष्ठ किया जाय और यदि भूखण्ड द्वारा तैयार कर भवन का निर्माण किया गया हो तो सामान्य 7 में भवन एवं भूखण्ड की मूल्य-मूल्यक अधिष्ठ करने पर तदनुसार सामान्य 6 में कृपया मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी मूल्य-मूल्यक अधिष्ठ किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा सर्व तथा उस पर अधिष्ठ परिचालन के अन्य आवश्यकों के नाम से अधिष्ठ सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद लक्ष्मण जिंद  
2. संवर्ग ग्र  
3. वर्तमान धारित पद वा.एन. यो. ए. 3  
4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य गवर्न) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/सपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/तर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्यथा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला हरियाणा तहसील रोहतक गांव रोहतक 306 नाली श्रेणी कम्पत्ति	अकाउ. 16 मा. गिरणीपुरा जम्स रोड रोहतक नाप/2005/27 स्वामित्व - श्री मली कल्या चौधान W/O श्री लक्ष्मण चौधान		ग्रहण SBI रोहतक	2016	लक्ष्मण श्री लक्ष्मण			कमाक 1 के मेरी वैश्विक सम्पत्ति का अंकन किया गया है। जिसका वर्तमान मूल्य बोकारा नही हुआ है। कमाक 2/3 की भूमि का आवाक मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कल्या चौधान के नाम पर है जिसकी मिर्कल की प्रामाणिकता केर के लगे ले दी रही है

स्थान : म.ए. निदेशालय रोहतक  
दिनांक : 30/07/2015

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम लक्ष्मण जिंद  
पद नाम वा.एन. यो. ए. 3  
विभाग रूपम एवं लोक सम्पत्ति विभाग

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निबंधक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उमलका सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद कॉन्सेलर  
 2. जन्म (1971)  
 3. वर्तमान वेतनपत्र 25500-81100 (सीएस-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (संज्ञक-सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (करी/हीजा/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/स्थितियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य

स्थान : हनुमानगढ़  
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर कॉन्सेलर  
कर्मचारी का नाम कृष्ण कुमार  
पद नाम कॉन्सेलर  
विभाग शून्य एवं लोक सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फूलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वासक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि फूलेण्डर कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं फूलेण्डर का पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अमर चन्द तिवारी  
 2. संवर्ग (5A)  
 3. वर्तमान धारित पद अनुवादक  
 4. वर्तमान वेतनमान 35400-112400 (LEVEL-6)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
① ग्राम-शादला पो. आं-दागुला जिला-जम्मोड़ा	पैतृक आवास भूमि लगभग 50 चाली	पैतृक अर्जित कारणों से	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	लगभग 20 लाख	नहीं	
② 1/219 शादला नगर लखनऊ	70 वर्ग मी.	श्री अमर चन्द तिवारी एवं सम्पत्तियों श्रीमती दीपा तिवारी	क्रेय (एन.डी. 150 से)	वर्ष 2002	लगभग 10 लाख	लगभग 15 लाख	4	

स्थान : देहरादून  
 दिनांक : 14 अक्टूबर, 2019

हस्ताक्षर : [Signature]  
 अधिकारी का नाम : अमर चन्द तिवारी  
 पद नाम : अनुवादक  
 विभाग : हस्ताक्षर विभाग, देहरादून

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के कर्म अनुसंधान समिति का विवरण

(वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01 जनवरी 20 को स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

श्रीमती अंजू धपोला

2. पद

3. वर्तमान धारित पद

अनुवादक

4. वर्तमान वेतनमान 49900-142400 (लेवेल-7)

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आधार) भूमि एवं अन्य (सिद्धि) का विवरण (सिद्धि/चिट्ठी)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कर्म/लीज/प्राप्त/तराटिजा/संपत्ति/अन्य प्रकार) तथा व्यापक/व्यक्तिगत का विवरण जिससे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कर्म/लीज/प्राप्त/तराटिजा/संपत्ति/अन्य प्रकार) तथा व्यापक/व्यक्तिगत का विवरण जिससे अर्जित की गयी	6. अर्जन लागत (₹ में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	9. आयुक्ति
NIL								

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 2/8/2019

हस्ताक्षर: *[Signature]*  
अधिकारी का नाम: श्रीमती अंजू धपोला  
पद नाम: अनुवादक  
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी:

1. भेजी गई एवं यह के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फेब्रुवरी वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अर्जित सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति नियमित/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य प्रभागों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के संपन्नता प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अर्जित सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी को संपन्नता 01 जनवरी को वार्षिक संपन्नता सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अर्जित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति नियमित आवासीय भूखंड/अन्य पदम को रूप में कर्म की हुई हो तो सन्नाह में कर्म कर मूल्य अर्जित किया जाय और यदि भूखंड स्वयं कर उस पर भवना का विवरण अवश्य किया गया हो तो सन्नाह में भवना एवं भूखंड को पंथक प्रथक अर्जित करते हुए तदनुसार सन्नाह में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी प्रथक-प्रथक अर्जित किया जाय।
4. अर्जित सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक को द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।





राज्याधीन सेवकों के कार्यों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी) की स्थिति अनुसार

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं पद दीपा रानी गौड 2. नाम जॉन - मिनिस्ट्रल  
3. वर्तमान भारत पर अनुवादक / प्रचारक / सूचना सचिव वर्तमान वेतनमान 35400-112400 (Level-6)

1. अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि कोई है तो)	2. सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का मूल्य (यदि कोई है तो)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वामी का नाम नहीं है तो, जिसके नाम सम्पत्ति को अचल नाम और उसी सरकारी सेवा का संकेत)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बैंक/प्रत्यक्ष/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण (जिनसे अर्जित की गयी)	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अचल सम्पत्ति का मूल्य (₹ में)	7. वर्तमान अचल सम्पत्ति का मूल्य (₹ में)	8. सम्पत्ति से अधिक आय (₹ में)	9. प्रत्यक्ष
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL				NIL

स्थान देहरादून  
दिनांक 29/08/2019

प्रस्तावक दीपा रानी गौड  
अधिकारी का नाम दीपा रानी गौड  
पद नाम अनुवादक / प्रचारक / सूचना सचिव  
विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

- टिप्पणी:**
1. सेवी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर ऑफ फॉर अचल सम्पत्ति का विवरण अचल सम्पत्ति की 01 जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/निर्वाह प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरोक्त प्रस्तुत की जाय।
  2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिपत्य/कमी हुई हो तो पदनुसार अधिपत्य/कमी के उपरोक्त 01 जनवरी को उपरोक्त अचल सम्पत्ति अर्जित करने के लिए और यदि कोई अधिपत्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय मकान/अन्य मकान के रूप में कप की गई हो तो स्तम्भ 6 में काल-रूप मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड रूप में उपर पर भवन का निर्माण प्रथम किया जाय तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए उपरोक्त स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवा के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राकेश कुमार घीवान 2. संवर्ग लेखा संवर्ग-श्रेणी "ग"  
3. वर्तमान धारित पद सहायक लेखाकार 4. वर्तमान वेतनमान PM800-151100 (LEVEL-08)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- पोड़ी तहसील पोड़ी घीवान-मिवास (नारालीज) पोड़ी गढ़वाल	आवास	पेट्टक	-	-	-	05 लाख	-	स्वयं के प्रयोजन हेतु
2- पोड़ी मीनगर कमलेश्वर मीनगर गढ़वाल	आवास 0.013 हे०	स्वयं	कय	नवम्बर 2009	-	13 लाख	-	स्वयं के प्रयोजन हेतु आवास निर्माण, बैंक से आवास ऋण लेकर निर्मित करवाया गया है।

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 07-08-2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम राकेश कुमार घीवान  
पद नाम सहायक लेखाकार  
विभाग रचना एवं लोक सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा गोपाल राम 2. संवर्ग कलर की काल  
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान ५२००/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवारा, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कस/ लीज/ बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>देहरादून</u>	<u>मकान</u> <u>वर्ग फुट</u> <u>131.11</u>	<u>गोपाल राम</u>	<u>श्री दिनेश चरक</u> <u>गैरेश पुत्र श्री स्व</u> <u>श्री राधा कृष्ण शर्मा</u> <u>निवाट आरकेडी शान्त</u> <u>विजय मालोनी</u> <u>हरभजन वाला</u> <u>देहरादून</u>	<u>16 जून 2011</u>	<u>16 लाख</u>	<u>16 लाख</u>	<u>कुछ नहीं</u>	<u>HDFC बैंक से 16 लाख</u> <u>श्री लाल</u> <u>वर्नाय</u>

स्थान: देहरादून

दिनांक: 2-8-2019

हस्ताक्षर राम

अधिकारी का नाम गोपाल राम

पद नाम प्रधान सहायक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1199

29/8/19

विभा. उ. व. नं. (

F-202

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विनोद कुमार 2. संवर्ग ग  
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 35400-112400 लेवेल-6

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जयपुर-देवडा तहसील-देवडा ग्राम-माजरा	निजी आवास + 300, 05 वर्ग (अनुमानित)	स्वकीय-देवडा (जाजगी) स्वकीय-देवडा (पिता)	उत्तराधिकार	पैतृक पैतृक		40 लाख	कोई आय नहीं	

स्थान : देवडा  
दिनांक : 28-08-2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम विनोद कुमार  
पद नाम प्रधान सहायक  
विभाग श्री यशोदा एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तरांचल

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

सज्जाधीन सेवाओं के कामियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा दिनेश सिंह राठौ 2. संवर्ग (3)  
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 4700 पावक

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लोन/भूयक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा सस व्यक्त/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्यवित्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्राम दिनेश राठौ खारा रोड हुण्ड जिला हरियाणा	01 भवन 12 नाब कृषि भूमि	दिनेश सिंह राठौ	उत्तराधिकार पैदा	पैदा			मुश्किल	
2. ग्राम भनेश - दिनेश रोड रोड भदवाड़ा जिला हरियाणा	01 भवन 01 नाब	दिनेश सिंह राठौ	स्वयं कृषि भूमि आपूर्ति की गई	वर्ष 2004-1 एक नाब			25 हजार	

स्थान हरियाणा  
दिनांक 13/8/19

आहरण वितरण अधिकारी  
जिला सूचना अधिकारी  
सरकारी

हस्ताक्षर दिनेश  
अधिकारी का नाम दिनेश सिंह राठौ  
पद नाम प्रधान सहायक  
विभाग जिला सूचना वितरण इकाई

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कामियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपखण्ड प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी को उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण रखा किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ए. डी. डी. 184 2. संवर्ग प्रि. सि. डी. 5/1  
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 35400-11240

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1- ग्राम लोली पुनेली पोचकडा तहसील धारादा, जिल्ला	पैलुम् सम्पत्ति का शाल	पैलुम् सम्पत्ति (अभिभक्ति)	पैलुम् उत्तराधिकार	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात	शून्य	
2- ग्राम कोदशागेव का परवाडाप, तहसील नैलात कोला-नैलात	पैलुम् अर्थ व	पैलुम् सम्पत्ति (अभिभक्ति)	पैलुम् उत्तराधिकार	11	11	11	11	
3- ग्राम धीपुल नायक तहसील एल्लोरी जिल्ला नैलात	1000 वर्ग फीट	स्वयं के नाम	ग्राम एक जमीनी इलाका को 10/0 एल्लोरी डी. एल्लोरी -		126000/-	521119	11	

स्थान : देहली  
दिनांक : 16-8-2019

हस्ताक्षर डी. डी. 184  
अधिकारी का नाम ए. डी. डी. 184  
पद नाम प्रधान सहायक  
विभाग प्रधान सहायक लोकायुक्त विभाग उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुख्यण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुख्यण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

11/11/19

0. श्री मुखर्जी

16/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज को द्वारा प्रत्येक वर्ष की स्थिति अनुसार  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - चेतन कुमार पाण्डेय  
 2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल  
 3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक  
 4. वर्तमान वेतनमान Level - 6

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कथ/ लीज/ बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारवाला ग्रांट, देहराडून	150 गज (125 वर्ग मीटर)	श्रीमती अस्मिता पाण्डेय (धर्मपत्नी)	उत्तराखण्ड सचिवालय आवासीय सहकारी समिति के माध्यम से कृप ब्री.ई.	जुलाई 2017	11.85 लाख	12.50 लाख	-	ICICI बैंक से भूमि श्रृण लेना कृप श्री गई।

स्थान: देहराडून  
 दिनांक: 27/08/19

हस्ताक्षर: चेतन  
 अधिकारी का नाम: चेतन कुमार पाण्डेय  
 पद नाम: प्रधान सहायक  
 विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहराडून

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उमलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कथ की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कथ मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कथ कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा नरेंद्र सिंह राजवाड़ा 2. संवर्ग मनि स्ट्रीट  
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहयक 4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य गवर्न) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिला के नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	दिल्ली जवत लजमग ब्राह्म शाजग पट्टी मनिमार्ग 40 नाली तया पैन्डक भवन	→ पैन्डक	पैन्डक	जान नही	जान नही	जान नही	जान नही	निजी उपयोग हेतु
②	ग्राम सैरखी लजमग चम्बा गडदरी जवत 30 नाली	- पैन्डक	पैन्डक	जान नही	जान नही	जान नही	जान नही	निजी उपयोग हेतु
③	प्रमनोजी इन्फ्लेव स्वयं के केस III चम्बा राज सेवक फ्लो (85.88) को प्रोक्टर देहरादून	-	-	-	-	-	निजी उपयोग हेतु	निजी उपयोग हेतु (बैंक ले जान लेटर)

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 28-8-19

हस्ताक्षर : [Signature]  
अधिकारी का नाम : नरेंद्र सिंह राजवाड़ा  
पद नाम : प्रधान सहयक  
विभाग : सूचना विभाग

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य गवर्न के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर गवर्न का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में गवर्न एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा गवर्न निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विजय कुमार 2. संवर्ग आ) ल२६  
3. वर्तमान धारित पद पञ्चायत सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 35400-112400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
भाग डेनल तहसील पो-आठनापिनकड तहसील बरली जिला धरौली	आषल (पेठिक) जमीन लगभग 15-20वर्ग	स्व. श्री धरौली लाल (पिता)	पैठिक सम्पत्ति	1996 से 2005	₹ 25 लाख 30 हजार 2000			यह निम्न पैठिक सम्पत्ति है, जिसमें उत्तराधिकार बन है जो मेरे पिता स्व. श्री धरौली लाल के नाम पर है और इस सम्पत्ति में मेरी भागीदारी का शर्मान्तक बुरावा नहीं किया गया है तथा इस का मूल्य ₹ 25 लाख 30 हजार 2000 है।

स्थान : हरियाणा राज्य लोक सम्पत्ति विभाग  
दिनांक : 28/08/2019

हस्ताक्षर विजय कुमार  
अधिकारी का नाम विजय कुमार  
पद नाम पञ्चायत सहायक  
विभाग हरियाणा राज्य लोक सम्पत्ति विभाग  
पं० १२६ सि० १०६ हरियाणा (उत्तराखण्ड)

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

**राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए 31 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार)**

1. कार्मिक का नाम एवं सेवा अजय प्रकाश बमराड़ा

2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल

3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक

3. वर्तमान वेतनमान 35,400-1,12,400 (Level 06)

जिला, तहसील, गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य) का विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधि कार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला पौड़ी गढ़वाल पोस्ट देहलचौरी, ग्राम अरोटा	पैतृक आवास एवं 70 नाली कृषि भूमि	संयुक्त	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	शून्य	
		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	
जिला देहरादून पोस्ट व ग्राम बालावाला	7 बिस्वा में आवास एवं 1 बीघा भूमि	संयुक्त	अनुज भाई के साथ संयुक्त रूप से क्रय	6.10.2011	लगभग 22 लाख	ज्ञात नहीं	शून्य	
		तदैव	तदैव	फरवरी, 2005	2.50 लाख	ज्ञात नहीं	शून्य	

स्थान : देहरादून

दिनांक : 3 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर

कार्मिक का नाम अजय प्रकाश बमराड़ा

पदनाम प्रधान सहायक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

**टिप्पणी :**

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति उत्पन्न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम ..... जुकेरा कुमारी ..... 2. संवर्ग ..... III .....
3. वर्तमान धारित पद ..... जूनियर सिविल इंजीनियर ..... 4. वर्तमान वेतनमान 35400 - 112400 (Level 06)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रूपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रूपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रूपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	800000 रु०	माता (अविवाहित)	—	—	—	—	—	—

स्थान : कांग्रेस  
दिनांक : 9/8/2019

हस्ताक्षर : [Signature]  
अधिकारी का नाम : (जुकेरा कुमारी)  
पदनाम : जूनियर सिविल इंजीनियर  
विभाग : जिला मुख्यालय, दिल्ली (HOD)

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरांत 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अजय कुमार  
2. सर्वग 51  
3. वर्तमान धारित पद जि.रि.स. लेवल 5  
4. वर्तमान वेतनमान 29200-92300 (LEVEL-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अस्थित
ग्राम देवल पो. कोट प्रदी. खिलो-सु. तहसील पो.डी. जयपुर पो.डी. गढ़वाल.	आवासीय भूमि	पैलिक	पैलिक सम्पत्ति (पिता ल. श्री. कृष्ण कुमार से)	पैलिक (सम्पत्ति)	01 लाख	1.40 लाख	(2-4) पाश्चात्य (मदरवांछ निवास)	

स्थान: जै.डी.  
दिनांक: 13/8/19

हस्ताक्षर: अजय  
अधिकारी का नाम: अजय कुमार  
पद नाम: जि.रि.स. लेवल 5  
विभाग: सु. रेलो. नि. वि. डी. (लेवल 5) हाइ. 1

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अनिवार्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा शुष्मा  
 2. संवर्ग मिनिस्टरियल क्लास  
 3. वर्तमान धारित पद GR00 लेटर  
 4. वर्तमान वेतनमान ग्रेड - 5 29200-92300

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बेचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मसूरी	111.0 वर्ग मी०	सुष्मा रॉय	कय पति लाल लाल श्री. स.	12-12-13	3 लाख से अधिक	3 लाख		परिवार के रहने हेतु प्रयोजन हेतु
देहरादून कश्मीरी घाट श्रीसाही सुरिया + 100 मी 2/3	225 गज	घात श्री. स.		-	-	-	-	परिवार के रहने हेतु प्रयोजन हेतु

स्थान : Mussorie  
 दिनांक : 28/8/19

हस्ताक्षर Shushma  
 अधिकारी का नाम SHUSHMA  
 पद नाम Sr. Assistant  
 विभाग Suchna Vibhag

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्यन्वित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अंकित कुमार  
 3. वर्तमान धारित पद अपेक्षित सहायक

2. संवर्ग समूह 'अ' (सम्पत्ति सहायक) उच्चतर श्रेणी  
 4. वर्तमान वेतनमान Level-05 (29200-92300)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/पृथक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान दिल्ली  
 दिनांक 28-08-2019

हस्ताक्षर Ankit Kumar  
 अधिकारी का नाम अंकित कुमार  
 पद नाम अपेक्षित सहायक  
 विभाग शून्यता एवं लोक सम्पत्ति विभाग उच्चतर श्रेणी

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 01 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उरा पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2012 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2012 की स्थिति अनुसार)

1. कार्यकारी अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विजय शिन्क्वाण  
 2. संवत् 2012  
 3. वर्तमान धारित पद वै प्रावर्तक सहायक  
 4. परीमाण वेतनमान 29200-92300 (लीबल-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य मकान) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे संबंधित पते का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिगत करने का कारण (पट्टा/सीमा/संवत्/अंतराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा प्राप्त तारीख/कारिगारी का विवरण जिनसे अधिगत की गयी	सम्पत्ति अधिगत करने की तिथि/वर्ष	मूल्य (₹ में)	सामान्य अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति की वर्गीकृत आय (₹ में)	अंशुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान देहरादून  
 दिनांक : 30-08-2012

हस्ताक्षर Dujan  
 कार्यकारी अधिकारी का नाम विजय शिन्क्वाण (VIJAY SHINKWAN)  
 पद नाम वै प्रावर्तक सहायक  
 विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी का पूर्व का के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फ्लेक्चर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति से अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार/अपी हुई हो तो अनुसार आधिकार/अपी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक अवलम्ब सम्पत्ति अधिगत की जाय और यदि कोई आधिकार/अपी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पूर्ण विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य मकान के रूप में खरीदी गई हो तो तत्पश्चात् में खून का मूल्य अधिगत किया जाय और यदि मूल्य का कया कर तब पर मकान का निर्माण किया गया हो तो स्तम्भ 2 में मकान एवं मूल्य का मूल्य-मूल्य अंकित करते हुए अनुसार स्तम्भ 6 में पूर्ण मूल्य तथा मकान निर्माण की लागत को भी प्रत्येक प्रत्येक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उत्तर पर आक्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिगत सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



Scanned with  
CamScanner



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा आरती गुजावन्त 2. संवर्ग आशुलिपिक  
3. वर्तमान धारित पद वैसाक्तिक सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 2800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Nil</u>								

स्थान देहरादून  
दिनांक 28/08/19

हस्ताक्षर AR  
अधिकारी का नाम आरती गुजावन्त  
पद नाम वैसाक्तिक सहायक  
विभाग स्वयं सेवक लोक सहायक विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवानों के कामियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण

(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा पी. कुमारी  
 2. संवर्ग आ.श.वि.प.क  
 3. वर्तमान धारित पद दुपटाक एस्टाब्लिशमेंट  
 4. वर्तमान वेतनमान 2800/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य गवनों) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान देहरादून  
 दिनांक 28/08/19

हस्ताक्षर पी. कुमारी  
 अधिकारी का नाम पी. कुमारी  
 पद नाम दुपटाक एस्टाब्लिशमेंट  
 विभाग खाना एवं लीज सम्पत्ति विभाग

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कामियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अमित मोहन  
 2. संवर्ग टेक्निकल  
 3. वर्तमान धारित पद कंप्यूटर ऑपरेटर  
 4. वर्तमान वेतनमान 35000-112400 (Level-6)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवनों) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अचल लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	-	-	-	Nil

स्थान देहरादून  
 दिनांक 30/08/2019

हस्ताक्षर अमित मोहन  
 अधिकारी का नाम अमित मोहन  
 पद नाम कंप्यूटर ऑपरेटर  
 विभाग सूचना एवं सौक्य सहायक विभाग, देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन की रूप में कय की गई हो तो रतना 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो रतना 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार रतना 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1695

21/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवकाश सम्पत्ति का वितरण पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी) की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रिप्रेटर रिटै 2. सर्वेक्षण संख्या एवं लोक लेबरिंग विभाग  
3. वर्तमान धारित पद सि.सी.ओ. 4. वर्तमान वेतनमान 36500

जिला, तहसील और गांव या बहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/लोज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंगुल प्रो. को. विद्यालय	आवासीय प्लॉट जमीन लगभग 50-से 60 जमीनी प्लॉट में	स्व. श्री रिटै पिता	पैदान	-	-	40 लाख (अनुमानित)	21-य	इस जमीन को कमी में लाने के कारण नतीजा है
2. A-131 Durga vihar दिल्ली	प्लॉट में 30 गज का प्लॉट	स्व. श्री रिटै पिता	पैदान	-	-	40 लाख (अनुमानित)	21-य	इस जमीन को कमी में लाने के कारण नतीजा है
3. राजा जलानाथ मेरठ नगर	30 गज का प्लॉट	स्व. श्री रिटै पिता	-	-	-	1500000 (अनुमानित)	21-य	मेरे नाम पर है
4. मीरा मोगापुर देरा दुर्ग	1500 गज का प्लॉट	मेरे नाम तथा मेरे भाइयों (दिगाज रिटै, विवेक रिटै)	-	-	-	25 लाख (अनुमानित)	21-य	इसकी जमीन में बरबादी नतीजा है

24/2/19

21/8/2019

स्थान: देरा दुर्ग  
दिनांक: 20 अक्टूबर 2019

हस्ताक्षर: [Signature]  
अधिकारी का नाम: रिप्रेटर रिटै  
पद नाम: सि.सी.ओ.  
विभाग: लोक लेबरिंग एवं लोक लेबरिंग विभाग

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवकाश सम्पत्ति का वितरण अवकाश वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पन्नित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी के अवकाश सम्पत्ति वितरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः वितरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अवकाश सम्पत्ति वितरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

(M.D. K)

*कामवादी*

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(बर्द 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा VIKAS CHAUHAN  
3. वर्तमान पारित पत्र Assistant cameraman

2. संनम 25500-81100 (LEVEL-04)  
4. वर्तमान वेतन-मान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य मयन) का पूर्ण विवरण (किन्नाल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उसके सम्बन्धी सेवा का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिष्ठ करने का कारण (दोष/लालच/सौदा/आततायित्व/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अधिष्ठ की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठ करने की तिथि/वर्ष	सर्वेक्षण संख्या (र. मं.)	सामान अनुमानित मूल्य (र. मं.)	सम्पत्ति की आधिकारिक मूल्य (र. मं.)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान: DEHRADUN  
दिनांक: 30-08-2019

हस्ताक्षर Chauhan  
अधिकारी का नाम VIKAS CHAUHAN  
पद नाम Assistant cameraman  
विभाग Information and Public Relation Department Uttarakhand

- टिप्पणी:
- श्रेणी एवं वर्ग के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले बजटवर्ष वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विवरण/निर्देशक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, जिससे अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिसूचना/कमी हुई हो तो प्रत्येक आधिसूचना/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक बजटवर्ष सम्पत्ति अधिष्ठ की जाय और यदि कोई आधिसूचना/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पूरा विवरण पत्र में अधिष्ठ किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य मयन को रूप में कय की गई हो तो रतम 6 में दूला का मूल्य अधिष्ठ किया जाय और यदि मूल्यांकन कर कर उस पर मयन का निर्माण कर किया गया हो तो रतम 2 में मयन एवं मूल्यांकन और मूल्य-प्राप्त अधिष्ठ करने हुए तदनुसार रतम 6 में मूल्यांकन कर मयन निर्माण की लागत को भी पूर्व-प्राप्त अधिष्ठ किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी संकेत के द्वारा स्वयं तथा उस पर आधिकारिक परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिष्ठ सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



Scanned with CamScanner

**राज्याधीन सेवाओं के कर्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र**  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रुचि जुवाल  
 2. संवर्ग \_\_\_\_\_  
 3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ कैमरामैन  
 4. पारिभाषिक वेतनमान 25500-81100 (लेवल-4)

जिला, शहरी/ग्रामीण या नगर जिनमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य पदम) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है उसका नाम और उससे सम्बन्धी संबन्ध का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का प्रकार (कच्चा/सील/बंदा/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त सम्पत्ति/अधिकाधिक का विवरण जिनसे अधिष्ठित की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठित करने की तिथि/वर्ष	अंश का भाग (र में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से प्राप्त आय (र में)	अधुना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIL						

स्थान देहरादून  
 दिनांक : 30.08.2019

हस्ताक्षर Ruchi Jwal  
 कर्मचारी अधिकारी का नाम रुचि जुवाल  
 पद नाम कनिष्ठ कैमरामैन  
 विभाग सूचना एवं लोक स्वरूपक विभाग

**टिप्पणी :**

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फेब्रुवरी वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की तिथि के अनुसार अपने सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निदेशिका/निर्देशक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा फेब्रुवरी 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति से कोई आधिकार/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अधिष्ठित की जाय और यदि कोई आधिकार/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पूर्ण विवरण पत्र में अधिष्ठित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कच है तो सम्पत्ति में सूचना का मूल्य अधिष्ठित किया जाय और यदि मुख्यतः कच कर उक्त पर भवन का निर्माण एवं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य का मूल्य-पुनः अधिष्ठित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में मूल्य का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पुनः पुनः अधिष्ठित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति, विवरण पत्र में सरकारी संबन्ध के द्वारा स्वयं तथा उक्त पर अधिष्ठित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिष्ठित सम्पत्ति सम्पत्तित की जाय।



Scanned with  
CamScanner

राज्याचीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मनोज कुमार सती 2. संवत् 2019  
3. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी 4. परतमान वेतनमान लेवल-5

जिला, तहसील और गाँव या कस्बा जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आकार, भूमि एवं अन्य मयन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है उसका नाम और उसकी सरकारी सेवा का संभव)	सम्पत्ति अधिष्ठ करने का प्रकार (अप/लीज/रेंट/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस अधिष्ठ/अधितायी का विवरण, जिनसे अधिष्ठ की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठ करने की तिथि/वर्ष	अलग-अलग (₹ में)	सर्वमूल्य अनुमानित (₹ में)	सम्पत्ति के अधिष्ठ आम (₹ में)	आधुनिक
ग्राम-गाँव तहसील- कणप्रभाग जिला- चमोली	0.0030 हे. कृषि भूमि स्वयं पेटिक आवासीय चार कमरा का संकान जुजर अवस्था में	स्वयं के नाम	उत्तराधिकार	-	-	-	नहीं	

स्थान: देहरादून  
दिनांक: 30/08/2019

हस्ताक्षर Asati  
अधिकारी का नाम मनोज कुमार सती  
पद नाम अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी  
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क

- टिप्पणी:
- श्रेणी का एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी को उपलब्ध पत्रागत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के उपरान्त पत्रागत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधुनिक/अन्य हुई हो तो उपरान्त आधुनिक/अन्य के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अधिष्ठ की जाय और यदि कोई आधुनिक/अन्य की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति एवं ही पूर्व विवरण पत्र में अधिष्ठ किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति: निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य मयन के रूप में कच की गई हो तो स्वामि त में मूल्य का मूल्य अधिष्ठ किया जाय और यदि मूल्य का कच कर लेता पर कच का निर्माण स्वयं किया गया हो तो इतना 2 में मयन एवं मूल्य का मूल्य अधिष्ठ करते हुए उपरान्त स्वामि त में मूल्य का मूल्य तथा मयन निर्माण की लागत को भी मूल्य अधिष्ठ किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवा के द्वारा स्वयं तथा उत्तराधिकार के अन्य सरकारी के नाम से अधिष्ठ सम्पत्ति अधिष्ठित की जाय।



Scanned with  
CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रशास्त्र सिंह नेगी 2. संवर्ग सिविल  
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ जहाजक 4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100 (लेवल-3)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 31/08/19

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम प्रशास्त्र सिंह नेगी  
पद नाम कनिष्ठ जहाजक  
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग निदेशालय, देह

**टिप्पणी :**

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2012 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2012 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा KAILASH SINGH RAWAT 2. संयंत्र MINISTERIAL  
3. वर्तमान धारित पद JUNIOR ASSISTANT 4. वर्तमान वेतनमान LEVEL-03

जिला, तहसील और गांव या इाहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आकार, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (विशेषतः सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उसकी सरकारी श्रेणी का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिगत करने का माध्यम (क्रेत/लीज/बैंक/सातसपिठार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त अधिगत/साधियों का विवरण, जिनसे अधिगत की गयी	सम्पत्ति अधिगत करने की तिथि/वर्ष	अर्जन स्रोत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से आर्थिक लाभ (₹ में)	आधुनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान : DEHRADUN  
दिनांक : 30/08/2017

हस्ताक्षर Kailash  
अधिकारी का नाम KAILASH SINGH RAWAT  
पद नाम JUNIOR ASSISTANT  
विभाग INFORMATION AND PUBLIC Relation DEPARTMENT

टिप्पणी :

- श्रेणी का एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की तिथि को अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विवरण/निर्वाह अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाय, जिन्को अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रस्तुत हो जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिगत/कमी हुई हो तो प्रत्येक वर्ष/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अधिगत की जाय और यदि कोई अधिगत/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति से ही पुनः विवरण पत्र में आंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल आय मूल्य अधिगत किया जाय और यदि मूल्य का कय कर रस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में मूल्य एवं मूल्य का मूल्य-मूल्य अधिगत करने हुए अनुसार स्तम्भ 6 में मूल्य का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत से भी मूल्य मूल्य अधिगत किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उक्त पर आंकित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिगत सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।



Scanned with  
CamScanner

1694

21/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री गोपाल सिंह
2. श्रवण समूह 'ग' सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान 26800

जिला/तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, पथी एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/वधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण (जिनसे अर्जित की गयी)	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-चेस पोस्टो-चेस तहसील-भरली जिल्हा-जमशेदपुर उत्तराखण्ड	आवाश पैतृक जमीन लगभग 25-30 नाली	स्व० दिवान सिंह पिता	पैतृक	—	—	2.50 लाख अनुमानित	शून्य	यह गैरा पैतृक है, जिसमें उक्त आवास बना है, जो मेरे पिता स्व० दिवान सिंह के नाम है और इस आवास/जमीन का वर्तमान समय तक बटवारा नहीं किया गया है तथा इसका उपयोग मेरा पूरा परिवार करता है।

स्थान: वेहराइन  
दिनांक: 20 अगस्त 2019

हस्ताक्षर  
अधिकारी का नाम श्री गोपाल सिंह  
पद नाम कनिष्ठ सहायक  
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/विधंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

AO, श्री सुब्रह्मण्य  
21/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा कोषीय अधिकारी उ.प. 29/1/19 2. संवर्ग म  
3. वर्तमान प्रारित पद कॉन्ट्रोल सैफ्ट 4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100 (LEVEL 03)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (अंशकाल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/दीर्घ/वधक/उत्तराधिकार/संप्रदाय/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/तर्क	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	शून्य	—	—	—	—	—	शून्य	शून्य

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 29/08/19

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम पुनीत कुमार  
पद नाम कॉन्ट्रोल सैफ्ट  
विभाग सूचना प्रौद्योगिकी (स.प.प. विभाग), देहरादून

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्व/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्व/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति शामिल की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मोहम्मद किलशायद 2. संवर्ग 'ग'  
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान डोलीक रो 26,800/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-जाटोवाला पोस्ट-सम्भवाला तहसील-वि.नगर जिला-देहरादून Pin-248197	आवासीय मकान (भूमि) कुल भूमि 2.25 बीगा	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति पिता क० श्री मोहम्मद आलि धारस	-	-	-	-	परिवार के सदस्यों द्वारा आवासीय (भवन) तथा कुल भूमि।

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 28/08/19

हस्ताक्षर Niklael  
अधिकारी का नाम मोहम्मद किलशायद  
पद नाम कनिष्ठ सहायक  
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

**अव्ययीय सेवाओं के फार्मियों के द्वारा अव्यय सम्पत्ति का विवरण पत्र**  
(एवं वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं पद: विदिशा नेगी  
 2. सामग्री: सूचना  
 3. वर्तमान प्रारित पद: कनिष्ठ सहायक  
 4. वर्तमान वेतनमान: \_\_\_\_\_

जिला/तहसील/द्वीप/गांव/पोस्टादर/विभाग/सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आधार) भूमि एवं अन्य अर्थों का पूर्ण विवरण (संशुद्ध/सहिदा)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम से हो तो जिनके नाम सम्पत्ति है उसका नाम और सरकारी सेवकों का संबन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/पट्टा/उत्तराधिकार/अपहार/अन्य प्रकार) तथा प्राप्त व्यक्त/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जित लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अव्ययिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान: दिल्ली  
 दिनांक: 02/08/2019

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_  
 अधिकारी का नाम: विदिशा नेगी  
 पद नाम: कनिष्ठ सहायक  
 विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

- टिप्पणी:**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर ऑर्डर के लिए अव्यय वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अव्यय सम्पत्ति का विवरण अव्यय वर्ष की 01 जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अव्यय प्रस्तुत की जाय किन्तु अन्य श्रेणियों के फार्मियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के समाप्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अव्यय सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्ण भूषित सम्पत्ति में कोई अधिभूय/कमी हुई हो तो तादात्म्य अधिभूय/कमी के सप्लान्त 01 जनवरी को वास्तविक अव्यय सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई अधिभूय/कमी की स्थिति में हो तो पूर्व अधिभूय सम्पत्ति को ही मूल्य विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निगमि अव्यय प्लेट/अन्य मध्यम को रूप में क्रेय की गई हो तो रतना 6 में रूप क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर संस पर मकत का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में मकत पद भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए सचनुसार समस्त 6 में मूक्ति का मूल्य तथा मकत निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अव्यय सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवकों के द्वारा स्वयं तथा अन्य पर आश्रित परिवार के अन्य संबंधियों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ..... हाथी सहायक  
2. संवर्ग ..... 21505 19543  
3. वर्तमान धारित पद .....  
4. वर्तमान वेतनमान .....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) देहरादून जिला	135 गज	हाथी सहायक	3 क्रय सम्पत्ति	2018	17 लाख	22 लाख	2500	

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 19/01/19

हस्ताक्षर : [Signature]  
अधिकारी का नाम : हाथी  
पद नाम : [Signature]  
विभाग : 2001 19543

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवस्यीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा Mrs. Parul Chaudhary 2. संवर्ग Ministerial cadre  
3. वर्तमान धारित पद Junior assistant 4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100 (Level-B)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति रिखत है	सम्पत्ति (आवासा, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं का नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान Dehradun  
दिनांक : 02.08.19

हस्ताक्षर Parul  
अधिकारी का नाम Parul Chaudhary  
पद नाम Junior Assistant  
विभाग Information & Public Relation Department, Uttarakha,  
Dehradun.

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सन्वन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो, तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सन्तोषी नेगी, राजकीय 2. संवर्ग (म)  
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कच/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	व्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
① ग्राहक वर्षा क्षेत्र, नरेंद्रनगर जिला टिठ गांव	इलाका भूमि	पैट्टक भूमि पति के नाम	पैट्टक सम्पत्ति पति के नाम	पैट्टक	21700	21700	शून्य	—
② देहरादून	लिखतवादा रामीपारखरी देहरादून	स्वयं के नाम	225 गज भूमि	2016	8.47	—	शून्य	शे. लॉ. शा. टि.

स्थान : पौड़ी, गढ़वाल  
दिनांक : 05/08/2019

हस्ताक्षर Santosh  
अधिकारी का नाम सन्तोषी नेगी  
पद नाम कनिष्ठ सहायक  
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कच की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कच मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड कच कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

AD, श्री प्रकृत  
6/8/2019




राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश चन्द्र गह 2. संवर्ग मिनि-हीमल  
3. वर्तमान धारित पद कमिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 5200-20200 (2000 पे)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1 हलियाली बनवलेव लोअर नव्यनपुर नेहलगाम तिकर अकशिया पब्लिक स्कूल, देहरादून।	2 114 अड क्षेत्रफल से भवन निर्माण	3 राजचंद्र गह (पिता) सुरेशचंद्र गह (पति) वीरेशचंद्र गह (भाई)	4 जय जी गह बैंक लोन के द्वारा	5 वर्ष 2015	6 ₹ 20 लाख	7 -	8 -	9 -

स्थान : देहरादून  
दिनांक : 29/01/19

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम सुरेशचंद्र गह  
पद नाम कमिष्ठ सहायक  
विभाग सूचना विभाग

टिप्पणी :


- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उमदख सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन को निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा पप्पू चौहान  
 2. संवत् वाहन चालक  
 3. वर्तमान पारित पद वाहन चालक  
 4. वर्तमान वेतनमान 25950

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति रिधत है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य गयन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/सीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/दर	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला खनगर देहरादून	373.50 जंग	<del>स्वयं के नाम</del> पत्नी के नाम	कम	2017	जान नही	जान नही	-	निजी उपयोग है
ग्राम बिर्वा चकराना देहरादून	15 नाली खामरा	पैदा	पैदा	जान नही	जान नही	जान नही	-	निजी उपयोग है

स्थान देहरादून  
दिनांक 29-08-2019

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम पप्पू चौहान  
पद नाम वाहन चालक  
विभाग सूचना विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिभू/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति की ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का उपरान्त प्रस्तुत  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री रामपाल  
 2. संवर्ग विनिश्चित  
 3. वर्तमान धारित पद उपरी  
 4. वर्तमान वेतनमान .....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है.	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil								

स्थान : देहरादून  
 दिनांक : 27.8.19

हस्ताक्षर .....  
 अधिकारी का नाम रामपाल  
 पद नाम उपरी  
 विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

- टिप्पणी :**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राम सिंह परजेली 2. संतर्ग चलुच-अधी  
3. वर्तमान धारित पद अनुसंपन्न 4. वर्तमान वेतनमान 18000/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	भवन निर्मात 60 बाज	श्रीमती पुनम सिंह पत्नी	श्रद्धा द्वारा	2017	16,000	22,000	नहीं	निजी उपयोग के लिए

स्थान देहरादून  
दिनांक : 29/12/2019

हस्ताक्षर Rspjiali  
अधिकारी का नाम राम सिंह परजेली  
पद नाम अनुसंपन्न  
विभाग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अधेश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अगले सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अभिषेक माजरी  
वर्तमान धारित पद अभिषेक माजरी  
2. संवर्ग (ए)  
3. वर्तमान वेतनमान 24,000/-

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य सवनी) का पूर्ण विवरण (संक्राफ़ल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लॉज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	प्रारंभिक अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहराडून	शून्य	-	-	-	-	शून्य	-	शून्य

स्थान : देहराडून  
दिनांक : 29/8/2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम अभिषेक माजरी  
पद नाम अभिषेक माजरी  
विभाग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

टिप्पणी :  
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले फलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अगले सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।  
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अगले सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्क/कमी हुई हो तो तदनुरार अधिक्क/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्क/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।  
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो रतम 8 में कुल कर मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर सवनी का निर्माण सवनी किया गया हो तो रतम 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुरार रतम 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।  
4. अगले सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अधिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिक्त सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

सम्पत्ति का विवरण पत्र  
 (यदि सम्पत्ति के अधिकारियों के द्वारा अवलम्बित सम्पत्ति का विवरण पत्र  
 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं पद: सैतेश कुमार  
 2. श्रेणी: V  
 वर्तमान धोरण पद: अनुसूचक  
 4. वर्तमान वेतनमान: 18000-56900 C लेवल - 1)

जिला, तहसील और गांव या इलाके का नाम जिनमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (धातु/अन्य भू-संपत्ति) का वर्णन (सिद्धांत/संज्ञित)	सम्पत्ति के प्रकारों का नाम (यदि संयुक्त नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उसी धरतीकारी संकेतों का संदर्भ)	सम्पत्ति अर्जित करण का माध्यम (क्रेय/स्वीच/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करण की तारीख/वर्ष	खर्च का मातृ (₹ में)	वर्तमान मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति का वर्णन (₹ में)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गाँव - <u>बटलोपुर</u> तहसील - <u>साण्डीला</u> जिला - <u>हरदोई</u> राज्य - <u>उत्तरप्रदेश</u>	① भावादा 1 विस्वा ② भूमि 1 लीधा	<u>सैतेश कुमार</u>	<u>क्रेय</u>	<u>जून 2005</u>	<u>चाबी 70 हजार रु.</u>	<u>70 हजार रुपये</u>		

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 2/8/2019

हस्ताक्षर: सैतेश कुमार  
 कार्यालय: अधिकारी का नाम सैतेश कुमार  
 पद नाम: अनुसूचक  
 विभाग: सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर तर्फ से लिए अवलम्बित की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवलम्बित सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विवरण/निवेदन/अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाय।  
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अवलम्बित सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि पत्र दौरे में पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिग्रहण/कमी हुई हो तो संशुद्धि अधिग्रहण/कमी के उपरांत 01 जनवरी को प्राथमिक उपलब्ध सम्पत्ति अधिकारी को जाय और यदि कोई अधिग्रहण/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही मूल विवरण पत्र में अंकित किया जाय।  
 3. यदि सम्पत्ति लिखित आवासीय प्रपॉज/उपहार/अन्य प्रकार के रूप में क्रेय की गई हो तो दिनांक में क्रेय का मूल्य अंकित किया जाय और यदि प्रपॉज्ड क्रेय कर रूप में भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो दिनांक 2 में भवन एवं मूल्य का मूल्यांकन-पूछक-आकंठ करते हुए (दिसम्बर 31 तक) 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पूछक-पूछक अंकित किया जाय।  
 4. अवलम्बित सम्पत्ति विवरण पत्र में संशुद्धि संकेतों के द्वारा स्वयं तथा उदा पर अर्जित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

सामान्यतया सेवाओं के काम में प्रयुक्त अथवा सामान्यतया नियंत्रण-पत्र (वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी) की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद

राजे नरसिंह नगरकोठे  
डे. सहायक

2. उम्र 24.05.50  
3. वर्तमान वेतनमान 25500-71100 लेवल 4

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भूदान) का पूर्ण विवरण (संग्रहण-सहित)	सम्पत्ति के रकमों का नाम (यदि उम्र के हंगामा हो तो किसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बतका/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उससे व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से आय (₹ में)	अवस्थिति
झारखण्ड झाड़वाड़ जोड़ू लाकड़ा उदरालखंड	आवासीय उद्यानी कुचि उद्यानी	राजे नरसिंह	पैतृकीय	वर्ष 1988	₹ 25000			

स्थान: राँची  
दिनांक: 31/12/19

हस्ताक्षर: [Signature]  
अधिकारी का नाम: राजे नरसिंह नगरकोठे  
पद नाम: डे. सहायक  
विभाग: [Blank]

- टिप्पणी:
1. भूमि का एक एक अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले अलेक्जेंडर वर्ष के लिए आगले वर्ष को 01 जनवरी को स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण आगले वर्ष को 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्देशक अधिकारी को अपेश प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 05 अप्रैल के समाप्त प्रस्तुत की जाय।
  2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्ण घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो सदस्यवार अधिभू/कमी को उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्ण घोषित सम्पत्ति की ही पूर्ण विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भूदान के रूप में क्रेय की गई हो तो समाप्त 6 में क्रेय का मूल्य अंकित किया जाय और यदि गुरुकुल बना कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं गुरुकुल की पृथक-पृथक अंकित करते हुए सदस्यवार समाप्त 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा वसत पर अधिभूत परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अर्चना 2. संवर्ग II  
 3. वर्तमान धारित पद जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार 4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400 (Level-07)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिराके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रुपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रुपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रुपये में)	आयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गाँव गिहवाड़ा	भवन 800 वर्ग फुट	स्वयं के नाम	बीक लोन के माध्यम से क्रय कर अर्जित की गयी	26 सितम्बर वर्ष 2019	(15,00,000) रुपये		कोई आय नहीं	सम्पत्ति वर्ष 2019 में HDFC बैंक से क्रेडिट किया गया पत्र के माध्यम से अर्जित किया गया। जिसमें कागजीर गिहवाड़ा गाँव में 800 वर्ग फुट का भवन का निर्माण किया गया। जिसका मूल्य 15,00,000 रुपये है।

स्थान : हरिद्वार  
 दिनांक : 6/8/2019

हस्ताक्षर : अर्चना  
 अधिकारी का नाम : अर्चना  
 पदनाम : जिला सूचना अधिकारी  
 विभाग : सूचना एवं संपर्क विभाग उत्तराखण्ड

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरांत 01 जनवरी को प्रस्ताविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।



(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम

अरुण कुमार

2. संवर्ग

"ज"

3. वर्तमान धारित पद

कनिष्ठ सहायक

4. वर्तमान वेतनमान

21700-69100 (level-3)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रूपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रूपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रूपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रोझवाला शायपुर देहरीपूर	0.214 हेक्टर भूमि एवं चैनूक मकान	भूमि में चार अन्य फ्लॉइ एवं कुट्टा अन्य चचेरे भाइयों के नाम संयुक्त रूप से।	चैनूक	—	—	—	31000/- रूपये लगभग	—

स्थान : हरिद्वार

दिनांक : 09-08-2019

हस्ताक्षर : Arun Kumar

अधिकारी का नाम : अरुण कुमार

पदनाम : कनिष्ठ सहायक

विभाग : सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक समयभित्त नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाए।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी / कर्मचारी का नाम व सेवा- श्री भूवन चन्द्र तिवारी

2. संवर्ग-ख

3. वर्तमान धारित पद-जिला सूचना अधिकारी


4. वर्तमान वेतनमान-65000.00

जिला, तहसील में गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि ) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद-नैनीताल तहसील-हल्द्वानी लामाचौड़	दो बीघा कृषि भूमि	स्वयं की	जी०पी०एफ० व अपने वेतन से	वर्ष-2000	1.20 लाख	12.50 लाख	शून्य	-

स्थान-रूद्रपुर (उ०सि०नगर)

दिनांक-08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....



अधिकारी / कर्मचारी का नाम-भूवन चन्द्र तिवारी

पदनाम-जिला सूचना अधिकारी

विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ०सि०नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी / कर्मचारी का नाम व सेवा- श्री कृपाल लाल टम्टा

2. संवर्ग-ग

3. वर्तमान धारित पद-अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी

4. वर्तमान वेतनमान-35900.00

जिला, तहसील में गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि ) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-

स्थान-रुद्रपुर (उ०सि०नगर)

दिनांक-08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम-कृपाल लाल टम्टा

पदनाम-अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी

विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ०सि०नगर।

राज्याधीन संपाजा क कानका क द्वारा अचल सम्पत्त का विवरण-पत्र  
( वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम व सेवा- श्री संजय कुमार  
3. वर्तमान धारित पद-कनिष्ठ सहायक

2. संवर्ग-ग  
4. वर्तमान वेतनमान-26800.00

जिला, तहसील में गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि ) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-

स्थान-रुद्रपुर (उ०सि०नगर)  
दिनांक-08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम-संजय कुमार

पदनाम-कनिष्ठ सहायक

विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ०सि०नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कामिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी /कर्मचारी का नाम व सेवा- श्री बबन राम

2. संवर्ग-ग

3. वर्तमान धारित पद-वाहन चालक

4. वर्तमान वेतनमान-32300.00

जिला, तहसील मे गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि ) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य								

स्थान-रुद्रपुर (उ०सि०नगर)

दिनांक-08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम-बबन राम

पदनाम-वाहन चालक

विभाग-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ०सि०नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जनवरी 19 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रीविन्द सिंह बिष्ट 2. संवर्ष GA  
3. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त जिला सचिवा अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400 (Level-7)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/सीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
हनुमान जिला-मिर्जापुर	आवास 1800 स्क्वायर फिट	श्रीविन्द सिंह बिष्ट	स्वयं स्वयं पैतृक	2010	15 लाख	30 लाख	शून्य	पैतृक/स्वयं
मिर्जापुर जिला अमरासि	आवास 1000	"	"	पैतृक	30 लाख	शून्य	"	"

स्थान : हनुमान  
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर (श्रीविन्द सिंह बिष्ट)  
अधिकारी का नाम श्रीविन्द सिंह बिष्ट  
पद नाम अतिरिक्त जिला सचिवा अधिकारी  
विभाग जिला सचिवा कार्यालय, मिर्जापुर-72 हनुमान

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्पत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जनवरी की रिश्ति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अहमद नफीम 2. संवर्ग ग  
3. वर्तमान धारित पद ऑडिओ जिला रखना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 24200-92300 (level-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिनमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (किन्नाम सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिरादों नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और सरकारी सेवक को सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/लीज/बैंक/संयुक्त/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्ययित/व्ययिता का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जयपुर (उपस्थित नं०)	प्लॉट नं० 220 वगैरह भूमि	माता जामदारबहन व आदि लालिआजी	उपस्थितकारी व रूप	2008-09	8 लाख	—	—	उक्त भूमि, भूमि का उपयुक्त रूप से परिवार द्वारा किमा जा रहा है।

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 08/08/19

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम अहमद नफीम  
पद नाम ऑडिओ जिला रखना अधिकारी  
विभाग जिला रखना कार्यालय जयपुर

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की रिश्ति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/विद्यमान प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, जिरित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य कय की पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार)

1. कार्मिकों का पूरा नाम एवं सेवा दीवान सिंह बिष्ट  
 2. संवर्ष 29200-92300 (लेवल-05)  
 3. वर्तमान धारित पद एन.एन.के. सहायक  
 4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूनि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/सीजे/बचक/उत्साहविकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जित लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	आशुचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 मील-गडडा गाँव मणौली जिला-उन्नाव	05 माली लूसि 3/4 मि. खेत 15x22 आवासीय पुश्तानी	स्वयं पुश्तानी	पुश्तानी-उत्साहविकार	पुश्तानी	-	-	-	उक्त भूमि खेत का उपयोग हमारे परिवार के लिए किया जा रहा है।

स्थान : उन्नाव  
 दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर दीवान सिंह  
 कार्मिकों का नाम दीवान सिंह बिष्ट  
 पद नाम एन.एन.के. सहायक  
 विभाग जिला उन्नाव कापिल पंचायत

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्देशक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ-6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ-2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ-8 में भूनि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा वीजान गिरी गोस्वामी 2. सर्वम् (घ)  
3. वर्तमान पारित पद अनुसूचक 4. वर्तमान वेतनपट्टा 25600-81100 (Level-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और सरकारी सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/पंथक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तहसील धारी जिला नैनीताल	10 नाली कृषि भूमि क्षेत्र 25x30 आवास पुरतैनी	स्वयं पुरतैनी	पुरतैनी - उत्तराधिकारी पुरतैनी	पुरतैनी	-	-	-	उक्त भूमि स्वयं पर का उपयोग स्वयं द्वारा किया जाता है।

स्थान नैनीताल  
दिनांक 8/08/19

हस्ताक्षर [Signature]  
कर्मचारी का नाम वीजान गिरी गोस्वामी  
पद नाम अनुसूचक  
विभाग जिला सूचना आपलप नैनीताल

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को तारताविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूख्य क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूख्य क्रेय के पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में मूल्य का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा मोहन चन्द कुलारा  
 2. संतरें 3  
 3. वर्तमान धारित पद वाहन चालक  
 4. वर्तमान वेतनमान 25500-81100 (Level-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्रियण्ड सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी रिकॉर्ड का साबूत)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/वेंचर/व्यवसायिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	वर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	आयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तहसील नैनीताल गांव सांगुड़ी भीमताल	11/8/88 भूमि का प्लॉट पान में फील्ड	स्वयं	मोहन चन्द कुलारा (कन्या पत्नी श्री कमला देवी)	पान	—	—	—	स्वयं द्वारा देखा-देखा
तहसील श्रीगंगोत्री आवास पुश्तनी	आवास पुश्तनी	मोहन चन्द कुलारा	पुश्तनी स्वयं	पुश्तनी	—	—	—	आवास है

स्थान: नैनीताल  
दिनांक: 8/8/19

हस्ताक्षर: मोहन चन्द  
कर्मचारी का नाम: मोहन चन्द कुलारा  
पद नाम: वाहन चालक  
विभाग: जिला स्तना आपालप नैनीताल

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संव्यवस्थित नियुक्ति/निर्भरक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी रिकॉर्ड के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र  
(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2017 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा म.द.म.देवराय प्रसाद शुकल 2. सर्वगी (3)  
3. वर्तमान धारित पद उत्तराधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 29900-00

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अधिगत करने की तिथि/वर्ष	5. सम्पत्ति अधिगत करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (र. में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (र. में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (र. में)	9. अन्य विवरण
गांधी नगर, तहसील वसुकेदार, जिला रुद्रप्रसाद	भवन 01, पड नाली, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त	म.द.म.देवराय प्रसाद शुकल, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त	स्वयं निर्मित भवन भूमि उत्तराधिकारी के अधिगत	भवन 2002, पट्टांक	2009	30000	0	

स्थान: उत्तराधिकारी  
दिनांक: 13/8/2019

आहरण वितरण अधिकारी  
जिला सूचना अधिकारी  
रुद्रप्रसाद

हस्ताक्षर: M. D. M. Devaraya Prasad Shukla  
अधिकारी का नाम: म.द.म.देवराय प्रसाद शुकल  
पद नाम: उत्तराधिकारी जिला सूचना अधिकारी  
विभाग: जिला सूचना अधिकारी

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेक्टर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिग्रहण/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिग्रहण/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिग्रहण/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिगत सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश कुमार 2. संकाय (उ)  
3. वर्तमान धारित पद सह सचिव 4. वर्तमान वेतनमान 23,400-80

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य गयना) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अनुवर्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम कुकड़ा पो. ओ. मंडिया तहसील मोरी जिला उत्तराखण्ड	—	श्री. मानदास संबन्ध पिता	उत्तराधिकार	पैतृक	—	—	शून्य	

स्थान उत्तराखण्ड  
दिनांक : 13-08-2019

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम सुरेश कुमार  
पद नाम सह सचिव  
विभाग जिला इलाहाबाद जिला उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को अथवा 31 जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/निर्पत्रक प्राधिकारी को अधिसूचना प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी को उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में क्रेय का मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण कराया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवा के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2017 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2017 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा शिवपाल सिंह महरा 2. रास्ता (2) द्वीप  
3. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 4. वर्तमान दोनगान 52000/मा

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है:	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कम/लोन/बचत/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
जिला उत्तरकाशी तहसील उत्तरकाशी गाँव केदारवरी	2 मकान 127 गजाली 216 गजाली 1/3 सपुका खाल	रामदयाल झाड़े शिवपाल (लप) रामदयाल (भाई)	उत्तराधिकार पैतृक स्वयं प्राप्त की गई	जनवरी 2017	60000	80000	30000	इका पैतृक सम्पत्ति 1/3 भागीदार विभागीय है;

स्थान : उत्तरकाशी  
दिनांक : 23-02-19

आहरण वितरण अधिकारी  
जिला सूचना अधिकारी  
उत्तरकाशी

हस्ताक्षर (शिवपाल सिंह महरा)  
अधिकारी का नाम शिवपाल सिंह महरा  
पद नाम वाहन चालक  
विभाग जिला सूचना विभाग उत्तरकाशी

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के समस्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्ण घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी उभरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा को जानकी देवी  
2. संवर्ग समूह (ग)  
3. वर्तमान धारित पद आतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी  
4. वर्तमान वेतनमान 33900

जिला, तहसील और गाव या शहर जिनमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	

स्थान : पिंडर  
दिनांक : 20/8/18

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम जानकी देवी  
पद नाम आतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी  
विभाग सूचना विभाग

- टिप्पणी :
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति दर्जित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी..... की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रीरंज प्रसाद नाथियाल


2. संवर्ग डा

वर्तमान धारित पद वाहन-काल

4. वर्तमान वेतनमान 38,100-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला उत्तरकाशी उप तहसील जीप्रियाडा गांव थलन	ठावात 02 एर में 04 कठरे एक बगाना इतरे में दो कठरे एक कीचन एकमा के नाली अमि पर	श्रीरंज प्रसाद नाथियाल	स्वयं कय की अर्जि	एक भूखण वर्ष 1989-89 के वर्ष इतरी कय 2016 में	एक लाख	एक लाख	NIL	

स्थान दि डिहरी  
दिनांक 20-8-19

हस्ताक्षर   
अधिकारी का नाम श्रीरंज प्रसाद नाथियाल  
पद नाम वाहन-काल  
विभाग जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी जिला

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति स्पष्टित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

सुनील सिंह लोमडा

2. संवर्ग

'ग'

वर्तमान धारित पद

सरकारी काम डाटा रूही कोपरेटर

4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	प्राप्ति के नाम पर कोई भी सम्पत्ति नहीं है.

स्थान

रूही लोहरी

दिनांक

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

सुनील सिंह लोमडा

पद नाम

सरकारी काम डाटा रूही कोपरेटर

विभाग

सूचना एवं लोक सभ्यता विकास

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण रतय किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति अंकित की जाय।



राज्यस्तरीय सेवाओं के कार्यों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2014) के लिए दिनांक 31 अक्टूबर 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्गीकरण और पद  
2. अचल सम्पत्ति का विवरण

जिला/साक्षीय क्षेत्र गांव या थाना विस्तार सम्पत्ति विस्तार	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य संपत्ति) का वर्गीकरण (दस्तावेज संवित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वामी के नाम में तो सम्पत्ति का नाम सम्पत्ति हो असम्पत्ति नाम और सम्पत्ति सरकारी सेवाओं का संकेत)	अचल सम्पत्ति किराने का माध्यम (किराया/लोज/बंशक/उत्पत्ति/विकास /उपभोग/अन्य प्रकार की सेवा वस्तु व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, सिद्धि/पत्र)	सम्पत्ति अंकित करने की सिद्धि/पत्र	आवृत्ति लागत (र. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (र. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र. में)	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रीम-श्रीमती के. आर. मजु बारा	भूमि	पैक्टिक स्वयं स्व कंप्यूटर मॉड्यूल	पैक्टिक स्वयं स्व कंप्यूटर मॉड्यूल (विशेष कर-की विवरण)	पैक्टिक स्वयं स्व	आवृत्ति	आवृत्ति	-	-
श्रीम-श्रीमती के. के. शर्मा नरक मलका जिला इटावा इतराखण्ड	भूमि	पैक्टिक स्वयं स्व समुच्चय मॉड्यूल के नाम	)	आवृत्ति	आवृत्ति	आवृत्ति	-	-
	आवास	स्वयं स्व	स्वयं स्व	2014-5	15,00,000			

15/10/14

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर  
अधिकारी का नाम  
पद नाम  
विभाग

टिप्पणी:-  
1. सेवा के पत्र के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले बल्लेबंद वर्ष के लिए अगले वर्ष को 01 जनवरी को विवरण के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण  
अपनी वेब-साइट 31 जनवरी तक सम्पत्ति विवरण/निर्देशक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अचल सम्पत्ति के कार्यों के द्वारा प्रत्येक 05 मई को उपरोक्त प्रस्तुत की जाय।  
2. प्रत्येक वर्ष/वर्षों 05 मई को प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दिनांक पूर्ण होने तक सम्पत्ति में कोई अधिवास/कमी हुई हो तो तत्पश्चात् अधिकारी/कमी के  
अनुसार 01 जनवरी को वास्तविक सम्पत्ति अधिकारी को जाय और यदि कोई अधिवास/कमी को विवरण पत्र में पूर्ण घोषित जाय तो ही पूर्ण विवरण पत्र में अंकित किया जाय।  
3. यदि सम्पत्ति विवरण आवासों पर लगे हुए भूखण्ड के नाम में चयन की गई हो तो स्तम्भ 3 में कुल चयन प्रत्येक अंकित किया जाय और यदि प्रत्येक वर्ष के लिए चयन का निर्माण स्वयं  
किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड का मूल्यक पृथक अंकित करते हुए तत्पश्चात् स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा चयन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।  
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवाओं के द्वारा स्वयं तथा स्वयं पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम में अंकित सम्पत्ति सम्पत्ति को जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कारभारों के द्वारा अज्ञात सम्पत्ति का विवरण पत्र  
(कॉन्ट्रोल के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 को स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा 21001  
 2. पदनाम अधीन  
 3. वर्तमान आवंटित पद अधीन  
 4. वर्तमान वेतनमान 29000-92300

क्र.सं.	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आकार, माप एवं अन्य नाम) का पूर्ण विवरण (किताबत अंकित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम से हो तो जिला के नाम सम्पत्ति की पञ्चानाम नाम और उससे सम्बन्धी सेवाओं का संकेत)	सम्पत्ति अंकित करने का माध्यम (कच, लीज, बंधक/चलानाधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा चर/स्थिति/धरति या का विवरण, जिससे अंकित की गयी	सम्पत्ति अंकित करने की तिथि/वर्ष	वर्तमान आंकित लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति के आधिकारिक मूल्य (₹ में)	विवरण
1	श्री गंगारूप जमालपुर-देहरादून उत्तरांचल	0.09 एकर जामात भूमि	ए.डी. हुकुम ए.डी. प्रोसिस (समुद्र जी)	उत्तरांचल	2/8/1994	-	-	-	अधीन
2	श्री गंगारूप जमालपुर-देहरादून उत्तरांचल	119.13 बीघा	अधीन (सुब्र)	एडी	26/6/2016	-	-	-	-

स्थान देहरादून  
 दिनांक 09/02/2019

हस्ताक्षर Bhaji  
 अधिकारी का नाम अधीन  
 पद नाम अधीन  
 विभाग अधीन

टिप्पणी:-  
 1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा अज्ञात पदों की विस्तार से जांच करने वाले कलेक्टर वर्ष के लिए अज्ञात पदों की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अज्ञात सम्पत्ति का विवरण अज्ञात पदों की 01 जनवरी तक सम्बन्धित जिला/विभाग/अधिकारी की अज्ञात पदों की जांच के लिए अज्ञात पदों के कारभारों के द्वारा अज्ञात पदों के अनुसार प्रस्तुत की जाये।  
 2. अज्ञात पदों/अज्ञात पदों में प्रस्तुत किए जाने वाले अज्ञात सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्ण खोज सम्पत्ति में कोई अधिवार/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिवार/कमी की विवरण 01 जनवरी की आधिकारिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिवार/कमी की स्थिति में जो पूर्ण खोज सम्पत्ति की ही अज्ञात विवरण पत्र में अंकित किया गया।  
 3. यदि सम्पत्ति विवरण आधिकारिक प्रलेख/अन्य अर्थों के रूप में कच/लीज/बन्धक की को सहाय 6 में प्रस्तुत कर पूर्ण अंकित किया जाये और यदि मूल्य का कर चर/चर पर अर्थ का निर्माण स्वयं किया गया हो तो सहाय 2 में प्रस्तुत एवं मूल्य का मूल्यांकन अधिकार करने हुए सदस्य/सहाय 6 में मूल्यांकन मूल्यांकन तथा अज्ञात विवरण की लागत को भी प्रस्तुत-सुधक अंकित किया जाये।  
 4. अज्ञात सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारों/सेवाओं के द्वारा स्वयं तथा उक्त पत्र आश्रित परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम से अंकित सम्पत्ति विवरणों की जांच।

**राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र**  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री श्रीधराल सिंह नेगी 2. संतान 31  
3. वर्तमान धारित पद जी.ए.न. ए.एल.ओ. 4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400

जिला, तहसील और गांव या ग्राम/जिले में सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य मकान) का पूर्ण विवरण (द्विभागीय सहित)	सम्पत्ति के रजारी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अधिारण का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अधिारण की गयी	सम्पत्ति अधिारण का प्रकार (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अधिारण की गयी	अर्जन लागत (र में)	वर्तमान अधिारणित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र में)	अन्य विवरण
गुप्तगंज जिला पोस्ट गढ़वाल	प्लॉट नं. 2 आवास पंजीकृत	पंजीकृत	पंजीकृत	पंजीकृत	पंजीकृत	पंजीकृत	रू. 0	

स्थान गढ़वाल  
दिनांक 29/08/2019

अधिकारी का नाम श्री श्रीधराल सिंह नेगी  
पद नाम जी.ए.न. ए.एल.ओ.  
विभाग ए.ए.ओ. ए.एल.ओ. ए.एल.ओ. विभाग, उत्तर गढ़वाल

- टिप्पणी:**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष को समाप्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक अचल सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/छात्र भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कय का मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर इस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमे का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिारण सम्पत्ति अधिारणित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष ...2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अजनेश राणा  
3. वर्तमान धारित पद..... सहायक सूचना अधिकारी

2. संवर्ग ... अधिकारी -(ग)  
4. वर्तमान वेतनमान... 29200-92300

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम- थुनारा, पौ० आराकोट तहसील- मोरी जिला उत्तरकाशी	1 पैतृक सम्पत्ति		-	-	-	-	-	-

स्थान .....अल्मोड़ा.....  
दिनांक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री अजनेश राणा  
पद का नाम ....सहायक सूचना अधिकारी  
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष ..2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ..... मदन मोहन लाल आर्या.....

3. वर्तमान धारित पद ..... सहायक लेखाकार .....

2. संवर्ग ...लेखा संवर्ग सूचना -(ग)

4. वर्तमान वेतनमान... 47600-151100

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा, तहसील चौखुटिया, एवं ग्राम आदिग्राम-कनौडिया	घर पैतृक	स्वयं के नाम	-	-	-	-	-	-

स्थान .....अल्मोड़ा.....

दिनांक .....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम मदन मोहन लाल आर्या

पद का नाम .....सहायक लेखाकार

विभाग .....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष ...2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विपिन चन्द्र  
2. वर्तमान धारित पद..... कनिष्ठ सहायक

2. संवर्ग ... अधिकारी -(ग)  
4. वर्तमान वेतनमान... 21700-69100

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-- किलकोट पो0ओ0 पंत कोटुली तहसील रानीखेत अल्मोड़ा	1 पैतृक सम्पत्ति							

स्थान .....अल्मोड़ा.....  
दिनांक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री विपिन चन्द्र  
पद का नाम .....कनिष्ठ सहायक  
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष ...2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा.. श्री हरीश सिंह बिष्ट.....  
3. वर्तमान धारित पद..... टैक्नीकल असिस्टेन्ट

2. संवर्ग सूचना -(घ)  
4. वर्तमान वेतनमान... 29200-92300

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित )	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (र में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अल्मोड़ा आरतोला कोटली गन्धक गाँव	1 पेट्टक सम्पत्ति	14 नाली भूमि	-					

स्थान .....अल्मोड़ा.....  
दिनांक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री हरीश सिंह बिष्ट  
पद का नाम .... टैक्नीकल असिस्टेन्ट  
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
( वर्ष ...2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .....तार दत्त पाण्डे.....

3. वर्तमान धारित पद .....वाहन चालक.....

2. संवर्ग ...सूचना संवर्ग सूचना -(ग)

4. वर्तमान वेतनमान... 44900-142400

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी.	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (र में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अल्मोड़ा (सोमेश्वर) गाँव भाटनाथल ज्युला 2. अल्मोड़ा (शहर)	पैतृक संयुति सम्पत्ति 1 नाली 6 गुट्टी	श्रीमती जानकी पाण्डे पत्नी	लोन लेकर	1/12/2010	1 लाख 70 हजार	5 लाख रू0	-	-

स्थान .....अल्मोड़ा.....

दिनांक ...03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम तारा दत्त पाण्डे

पद का नाम .....वाहन चालक

विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।



राज्याधान सवाआ क कामका क द्वारा अचल सम्पत्त-का विवरण-पत्र

( वर्ष ...2019..... के लिए दिनांक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रीमती कमला स्यूनरी  
3. वर्तमान धारित पद..... टैक्नीकल असिस्टेंट

2. संवर्ग सूचना -(घ)  
4. वर्तमान वेतनमान... 21700-69100

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (र में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अल्मोड़ा स्यूनराकोट, अल्मोड़ा 2. सरकार की आली लोअर माल रोड, अल्मोड़ा	1 पैटुक सम्पत्ति संयुक्त 2. स्वयं की भूमि कय की गयी	14 नाली भूमि	सैलरी लोन लेकर भवन निर्माण किया गया।	10/08/2009	15 लाख	20 लाख	शून्य	

स्थान .....अल्मोड़ा.....  
दिनांक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर कमला देवी  
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्रीमती कमला स्यूनरी  
पद का नाम .... टैक्नीकल असिस्टेंट  
विभाग ... सूचना निदेशालय, देहरादून।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र  
(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2011 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रती लाल  
 2. सर्वग " उ "  
 3. वर्तमान धारित पद प्रशासी जिला सूचना अधिकारी  
 4. वर्तमान वेतनमान 29200-92300

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य संपत्ति) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम से हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी संदक का संकलन)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्यविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम फालक चौक जोगानी तहसील धरमपुर जिला उत्तरांचल	ग्राम फालक चौक जोगानी तहसील धरमपुर जिला उत्तरांचल में एक 30 न्यूनी चौर भूमि एवं पितृशाला के 80 अक्षर भूमि	जब से जेठू लाल सम्पत्ति हुआ है तब से जेठू लाल के नाम	उत्तराधिकारी एक आर्किटेक्ट द्वारा प्राइमरी से लेन क्रेय करी गई।	सितम्बर 2013	14 लाख	28 लाख	-	

स्थान कोटेश्वर  
 दिनांक 28/8/2019

हस्ताक्षर [Signature]  
 अधिकारी का नाम रती लाल  
 पद नाम प्रशासी जिला सूचना अधिकारी  
 विभाग जिला सूचना कार्यालय कोटेश्वर

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कामियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक अचल सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड का पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी संदक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवकों के कार्यों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र  
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा कर्मचारी अरुण सिंह रावत 2. सर्वे जा  
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 29200+92300 लेवल -5

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे संबंधित संपर्क का संवत्)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
① देहरादून	डुवाल (150 वर्ग फुट)	राम	LICHP द्वारा प्लॉट लेकर	2014	11 लाख	20 लाख लगभग	-	रखे हैं प्रयोग रहित

स्थान काठो 297  
दिनांक 22/8/19

हस्ताक्षर [Signature]  
अधिकारी का नाम अरुण सिंह रावत  
पद नाम वरिष्ठ सहायक  
विभाग सूचना मासिक, पत्रपत्रक वागेश्वर

- टिप्पणी:**
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्यों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
  - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिभू/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
  - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
  - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।